अध्याय – III
अनुपालन लेखापरीक्षा

- खेल अधोसंरचना का निर्माण, संधारण और उपयोग
- गृह (पुलिस) विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन
- लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय–III: अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि क्या दी गई विषयवस्तु (क्रियाकलाप, वित्तीय अथवा गैर–वित्तीय लेन–देन, इकाई अथवा इकाईयों के समूह के संबंध में जानकारी) सभी महत्वपूर्ण मामलों में लागू विधियों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं आदि और दृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को शासित करने वाले सामान्य सिद्धान्तों एवं शासकीय कार्मिकों के आचरण का अनुपालन करता है।

मध्य प्रदेश शासन के विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ ही इन विभागों के अन्तर्गत क्रियाशील स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा में, लागू नियमों, संहिताओं एवं क्रियाविधियों का अनुपालन न होना, सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में कमी तथा औचित्य के मानकों के पालन में विफलता के उदाहरण सामने आए हैं। इस संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों को आगामी कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

खेल और युवा कल्याण विभाग

3.1 खेल अधोसंरचना का निर्माण, संधारण और उपयोग

3.1.1 प्रस्तावना

खेल और युवा कल्याण विभाग (डी.एस.वाई.डब्ल्यू.), राज्य में खेल अधोसंरचना के निर्माण, संधारण और उपयोग के लिए जिम्मेदार है। अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.)/प्रमुख सचिव (पी.एस.) खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं और राज्य में खेल के विकास के लिए नीति निर्माण हेतु जिम्मेदार हैं। भोपाल में संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग खेल नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं और इस कार्य में उन्हें दो संयुक्त निदेशकों (अधोसंरचना और प्रशासन), चार उप निदेशकों और एक प्रशासनिक अधिकारी, जो कि संभाग/जिला स्तर पर खेल अधोसंरचना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राज्य में इकाई स्तर पर नीतियों के क्रियान्वयन के लिए 51 जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी (डी.एस.ओ.) हैं।

3.1.2 खेल नीति 2005

राज्य में खेलों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 2005 में मध्य प्रदेश शासन ने एक खेल नीति तैयार की थी। खेल नीति, 2005 की प्रमुख विशेषताओं में, अन्य बातों के साथ–साथ, अधोसंरचना का विकास, युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उनका प्रशिक्षण, चिन्हित किए गए खेलों को बढ़ावा देना, शिक्षा और खेल के बीच समन्वय आदि शामिल है।

3.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

खेल और युवा कल्याण विभाग की लेखापरीक्षा राज्य में खेल अधोसंरचना के निर्माण के विस्तार और उसके संधारण व उपयोग की प्रभावशीलता, जैसा कि खेल नीति 2005 में परिकल्पित था के आकलन के उद्देश्य से जनवरी 2020 में की गई।

3.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखिता स्रोतों से प्राप्त मानदंडों पर आधारित किये गये:

क. मध्य प्रदेश खेल नीति, 2005;

ख. खेल और युवा कल्याण विभाग के मार्च 2017 के स्टेडियम अधोसंरचना दिशा निर्देश;

ग. मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता (एम.पी.एफ.सी.); और

घ. शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेश, परिपत्र, दिशानिर्देश।

3.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में पाँच वर्ष की अवधि 2014–19 के दौरान खेल अधोसंरचना के निर्माण, संधारण और उपयोग से संबंधित विभागीय गतिविधियों को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में भोपाल के अपर मुख्य सचिव के कार्यालय और संचालनालय तथा स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि द्वारा चयनित विभाग के छः[75] जिला कार्यालयों में संबंधित अभिलेखो की जाँच शामिल थी इसके अतिरिक्त, एक[76] जिला कार्यालय का चयन विभाग के अनुरोध पर किया गया था।

चयनित जिलों में क्रियान्वयन एजेंसियों जैसे परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (पी.आई.यू.), राजधानी परियोजना प्रशासन (सी.पी.ए.), ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं (आर.ई.एस.), लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (एम.पी.एल.यू.एन.) के अभिलेखों की जाँच भी लेखापरीक्षा में की गई और विभागीय प्रतिनिधियों के साथ नमूना चयनित अधोसंरचना सुविधाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया।

अपर मुख्य सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग के साथ दिसंबर 2019 में प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। विभाग को प्रारूप प्रतिवेदन मई 2020 में जारी किया गया और प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय जून 2020 में प्राप्त लिखित उत्तर पर यथोचित विचार किया गया। निर्गम सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया क्योंकि प्रमुख सचिव ने कई स्मरण–पत्रों के बावजूद निर्गम सम्मेलन की तारीख नहीं दी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.6 योजना

मार्च 2019 के अंत तक, राज्य में 11 खेल परिसर, 23 मिनी स्टेडियम, 10 खेल के मैदान, 11 इनडोर हॉल और 19 खेल प्रशिक्षण केंद्र थे। पाँच–वर्ष की अवधि 2014–19 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए चयनित सात जिलों में शासन ने 44 कार्यों को (जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1.1*** में वर्णित है) निष्पादित किया। खेल अधोसंरचना के निर्माण की योजना के संबंध में लेखापरीक्षा प्रेक्षण नीचे दिया गया हैं:

3.1.6.1 गांवों में खेल मैदानों का विकास

खेल नीति 2005 के अनुसार, शासन ने अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक गाँव में एक खेल मैदान के विकास की परिकल्पना की थी, जिसमें ग्रामीण खेल जैसे वॉलीबॉल, कबड्डी, खो–खो और कुश्ती खेली जा सके। इसका मतलब था कि पाँच वर्ष की अवधि में 54,903[77] खेल मैदानों का विकास होता और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन और भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान शामिल होना था।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि शासन 2005–2019 की पंद्रह वर्ष की अवधि में केवल 253 खेल मैदानों का निर्माण कर सकी और ग्रामीण युवा केंद्रों के लिए 244 समन्वयकों को भर्ती किया। इस पर कुल व्यय ₹63.59 लाख हुआ था।

---

[75] भोपाल, दमोह, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर एवं शिवपुरी

[76] मंदसौर

[77] राज्य में गाँवों की कुल संख्या हैं

लेखापरीक्षा दल की विशेष मांग के बावजूद, विभाग साक्ष्य के लिए प्रासंगिक योजना दस्तावेज प्रदान नहीं कर सका कि उसने खेल नीति में परिकल्पित उद्देश्यों को लागू करने के लिए सुव्यवस्थित रूप से पर्याप्त योजना तैयार की थी।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में, प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग ने बताया (जून 2020) कि गांवों में खेल मैदानों का निर्माण सीमित बजट, जिलों में निचले स्तर पर स्वीकृत मानव शक्ति की कमी और चूंकि गांवों में खेल गतिविधियों का संचालन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.) के दायरे में है के कारण रोक दिया गया।

प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने 2014–19 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग नहीं किया था। 2014–19 के दौरान ₹997.59 करोड़ के कुल बजटीय आवंटन में से, खेल और युवा कल्याण विभाग केवल ₹774.34 करोड़ का उपयोग, 13 से 41 प्रतिशत की बचत के साथ कर सका। जबकि खेल अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए विभाग उपलब्ध निधि का उपयोग कर सकता था, विभाग ने कहा कि आवंटन के विरुद्ध 59.27 – 78.06 प्रतिशत का उपयोग संतोषजनक था।

स्पष्ट रूप से, विभाग ने खेल नीति 2005 में उल्लिखित उद्देश्यों को लागू करने के लिए पर्याप्त और उचित प्रयास नहीं किए थे, अथवा पाँच वर्ष के भीतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीति ही अवास्तविक थी।

3.1.7 खेल अधोसंरचना का निर्माण

3.1.7.1 खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए आवश्यकताओं का आंकलन

सात चयनित जिला खेल कार्यालयों (डी.एस.ओ.) की लेखापरीक्षा जाँच से दर्शित हुआ कि 2014–19 के दौरान, विभाग ने 44 कार्यों[78], जिनकी लागत ₹50.50 करोड़ ***(परिशिष्ट–3.1.1)*** थी, का निष्पादन यादृच्छिक आधार पर किया जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:

(क) खेल और युवा कल्याण विभाग ने किसी भी तरह की आवश्यकता के आंकलन, सर्वेक्षण या जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों से प्रस्तावों के बिना तीन जिलों में 26 कार्यों[79] जिनमे मिनी स्टेडियम, खेल परिसर, इंडोर हॉल, खेल प्रशिक्षण केंद्र, हॉकी स्टेडियम और एस्ट्रो टर्फ शामिल है, का निष्पादन किया।

(ख) विभाग ने जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों के प्रस्तावों के आधार पर पाँच[80] जिलों में 13 कार्यों[81] का निष्पादन किया। तथापि, अधोसंरचना के निर्माण के लिए जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा दिये गए औचित्य से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए, जो प्रस्ताव जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों द्वारा विभाग को भेजे गए थे, वे बिना किसी आधार या उपयुक्तता के थे।

यद्यपि, जन प्रतिनिधियों ने समुदाय की आवश्यकता से अवगत कराया परंतु सामान्य तौर पर विभाग ने अपने स्तर पर आवश्यकताओं का आंकलन नहीं किया हैं।

78 17 नवीन अधोसंरचना कार्य और 27 कार्य पूर्व निर्मित अधोसंरचना में।

79 पाँच नवीन अधोसंरचना कार्य और 21 कार्य पूर्व निर्मित अधोसंरचना में।

80 भोपाल–4, शिवपुरी–3, जबलपुर–4, मंदसौर–1, होशंगाबाद–1

81 सात नवीन अधोसंरचना कार्य और छः कार्य पूर्व निर्मित अधोसंरचना में।

उत्तर में प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि जिन स्थानों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई गई थी, स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर दी गई थी और स्टेडियम/खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया गया। लेखापरीक्षित जिलों के जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों ने पुष्टि की कि जिला स्तर पर निर्माण कार्य बिना किसी सर्वेक्षण के किए गए थे।

भूमि की उपलब्धता खेल अधोसंरचना के विकास का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता एवं विभाग द्वारा अधिक व्यापक रूप से आवश्यकताओं का आंकलन किया जाना चाहिए था।

3.1.7.2 *खेल अधोसंरचना का असमान वितरण*

खेल नीति, 2005 ने विभिन्न जिलों में खेल परिसरों के विकास को विनिर्दिष्ट किया है जहाँ ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं।

जिलों में खेल अधोसंरचना

जनवरी 2020 तक, 52 जिलों में से केवल 27 में खेल विभाग द्वारा निर्मित खेल अधोसंरचना थी। शेष 25 जिलों (48 प्रतिशत) में खेल नीति 2005 की घोषणा के 15 वर्षों बाद भी कोई खेल अधोसंरचना नहीं थी। 27 जिलों में उपलब्ध अधोसंरचना के प्रकार का विवरण ***परिशिष्ट*** **3.1.2** में है।

राज्य में जनसंख्या की तुलना में खेल अधोसंरचना की उपलब्धता का जिलावार विवरण ***परिशिष्ट 3.1.3*** में दिया गया है। 27 जिलों में जहाँ खेल अधोसंरचना उपलब्ध थी, में से छः जिलों (भोपाल–5, सीहोर–6, जबलपुर–6, सागर–12, दमोह–6 और पन्ना–4) में 53 प्रतिशत अधोसंरचना थी, और शेष 21 जिलों में केवल 47 प्रतिशत अधोसंरचना थी। यह दर्शाता है कि राज्य में खेल अधोसंरचना की उपलब्धता असमान थी और ज्यादातर राजधानी शहर और राज्य के मध्य और पूर्वी जिलों के कुछ अन्य शहरों तक ही सीमित थी।

खेल अधोसंरचना की उपलब्धता में असंतुलन का कारण स्पष्ट रोडमैप और आवश्यक आंकलन के बिना किया गया अनियोजित विकास प्रतीत होता है।

उत्तर में, प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि खेल विभाग या मध्य प्रदेश शासन के अन्य विभागों द्वारा निर्मित खेल अधोसंरचना 51 जिलों में से 50 (निवाड़ी को छोड़कर) में उपलब्ध हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कर सका जो दर्शाता हो कि अन्य विभागों जैसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय और आवास, स्कूल शिक्षा ने जिलों में कोई खेल संबंधी अधोसंरचना का विकास किया था।

3.1.7.3 *आदिवासी बहुल जिलों में खेल अकादमी का निर्माण नहीं होना एवं आदिवासियों की निधि का विचलन*

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एन.ए.सी.) ने राज्य में सभी विभागों में जनजातीय जनसंख्या के अनुपात के बराबर बजट आवंटन की सिफारिश (दिसंबर 2011) की थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.), भारत सरकार ने भी योजनाओं/कार्यक्रमों के घटकों जिससे सीधे अनुसूचित जनजाति लाभान्वित होते हो को शामिल करने की सिफारिश (अगस्त 2012) की थी। मध्य प्रदेश शासन की खेल नीति, 2005 ने भी जनजातीय लोगों की छिपी प्रतिभा को पहचानने और उनका पता लगाने पर जोर दिया था।

विभाग ने 2014–19 की अवधि के दौरान खेल अकादमियों की स्थापना के लिए ₹36.41 करोड़ व्यय किए थे, जैसा कि नीचे **चार्ट 3.1.1** में दिया गया है:

चार्ट 3.1.1: जनजातीय उप योजना शीर्ष से खेल अकादमियों की स्थापना पर व्यय

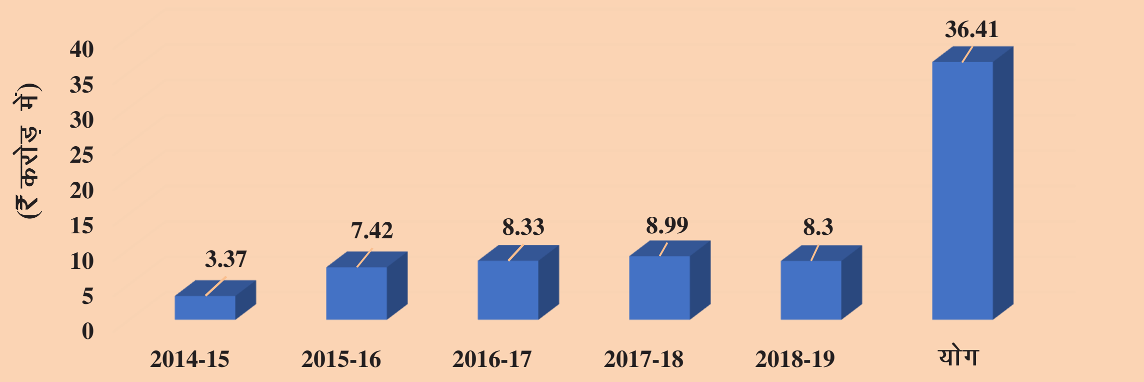

स्रोतः खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 50 जिलों में कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) से संबंधित है। इसके अलावा, 50 में से 15 जिलों में, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 33 से 89 प्रतिशत के बीच थी। यद्यपि, विभाग ने 18 खेल अकादमियों, जिनका निर्माण मार्च 2019 तक किया गया, में से किसी की भी आदिवासी बहुल जिलों में स्थापना नहीं की। विभाग ने राजधानी भोपाल में 13 खेल अकादमियों (70 प्रतिशत से अधिक) और शेष 30 प्रतिशत अकादमियों को चार जिलों (दो ग्वालियर, एक–एक शिवपुरी, होशंगाबाद और जबलपुर) में स्थापित किया।

विभाग को अपनी नीति के अनुसार, स्थानीय आदिवासी आबादी की प्रतिभा का पता लगाने के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आवश्यक खेल सुविधाओं/खेल अकादमियों की स्थापना करनी चाहिए थी। इसके बजाय, विभाग ने गैर–आदिवासी बहुल जिलों में खेल अधोसंरचना स्थापित करने के लिए आदिवासी उप योजना निधि का विचलन किया, जो कि आदिवासी आबादी के बीच खेल प्रतिभाओं का पता लगाने एवं विकास हेतु खेल अधोसंरचना के विकास के प्रति उसके उदासीन रवैये की बहुतायतता को दर्शाता है।

उत्तर में, प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि खेल अकादमियों के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, नियमित पर्यवेक्षण और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना अनिवार्य है और इसी कारण, खेल अकादमियों की स्थापना राज्य की राजधानी में की गई। प्रमुख सचिव ने आगे कहा कि, खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रशिक्षक नियुक्त किए गए थे, जो आदिवासी/दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पसंद नहीं करते हैं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने शिवपुरी और होशंगाबाद आदि जैसे छोटे जिलों में भी खेल अधोसंरचना विकसित की है। आगे, पर्यवेक्षक अधिकारी जैसे कि जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी पहले से ही जिलों में उपलब्ध हैं और पर्यवेक्षण तथा निगरानी को उच्च अधिकारियों के आवधिक क्षेत्र भ्रमण से सुनिश्चित किया जा सकता है। खेल नीति तैयार करते समय विभाग को उल्लेखित बाधाओं के बारे में पता था और इन बाधाओ को दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए थे जिससे आदिवासी क्षेत्रों में खेलों को गति मिले।

3.1.7.4 खेल अधोसंरचना का निर्माण

2014–19 के दौरान, विभाग ने राज्य क्रियान्वयन इकाईयों जैसे कि परियोजना क्रियान्वयन इकाई, राजधानी परियोजना प्रशासन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, लोक निर्माण विभाग और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से राज्य में ₹166.15 करोड़ की स्वीकृत लागत पर 326 कार्यों का निष्पादन किया। कार्यों की स्थिति नीचे **तालिका 3.1.1** में दी गई है:

तालिका 3.1.1: खेल विभाग के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों की जनवरी 2020 में स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	एजेंसी को आवंटित कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्य		अपूर्ण कार्य	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
परियोजना क्रियान्वयन इकाई	59	40	50.78	15	9.50
राजधानी परियोजना प्रशासन	20	19	1.33	01	6.70
लोक निर्माण विभाग	13	08	1.16	04	0.02
ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं	02	01	0.17	01	0.35
लघु उद्योग निगम	232	232	41.88	–	–
कुल	**326**	**300**	**95.32**	**21**	**16.57**

स्रोत: कार्य निष्पादन करने वाली एजेंसियों से प्राप्त जानकारी

लेखापरीक्षा ने सात चयनित जिलों में 326 में से 44 (₹50.50 करोड़) कार्यों की जांच किया और 44 कार्यों में से ₹22.25 करोड़ लागत वाले 17 कार्यों में चार से 37 महीने का विलम्ब देखा (***परिशिष्ट 3.1.4***)। आगे, निर्माण कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कमियों को भी देखा गया:

i. विभाग ने विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति देते समय कार्यों को पूर्ण करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की।

ii. विभाग ने क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ अनुबंध करते समय कार्यों को पूर्ण करने हेतु क्षतिपूर्ति, शास्ति या जुर्माना आदि के उपखंड को शामिल नहीं किया।

iii. विभाग ने कार्यों में शीघ्रता अथवा गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए प्रगति रिपोर्ट और समीक्षा बैठकों जैसी कोई क्रियाविधि को भी स्थापित नहीं किया।

iv. क्रियान्वयन एजेंसियों ने उनके संबंधित विभागीय नियमावली/दिशानिर्देशों के आधार पर समयसीमाए निर्धारित की। खेल विभाग की ओर से समयसीमाओं और समीक्षा के अभाव में, क्रियान्वयन एजेंसियों ने कार्यों को पूर्ण करने में अपना समय लिया जिसके कारण कुछ प्रकरणों में विलम्ब और अमानक गुणवत्ता वाले कार्य हुए।

विलम्ब और उसके कारणों के कुछ उदाहरणात्मक दृष्टांत **तालिका 3.1.2** से **तालिका 3.1.6** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 3.1.2: प्रशासनिक स्वीकृति (ए.ए.) जारी होने में विलम्ब

कार्य और क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्ण होने हेतु निर्धारित दिनांक	स्थिति	टिप्पणियां
स्टेडियम का निर्माण, इटारसी (परियोजना क्रियान्वयन इकाई)	₹662.42 लाख (अक्टूबर–2015)	04.10.2017	कार्य दिसंबर 2018 में 14 माह के विलम्ब के साथ पूर्ण किया गया था और इस कार्य पर वास्तविक व्यय ₹630.47 लाख था।	परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने प्रशासनिक अनुमोदन जारी करने के लिए विभाग को ₹384.47 लाख की तकनीकी स्वीकृति (जून 2013) प्रस्तुत की लेकिन परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा बार–बार अनुरोध के बावजूद विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की। दरों की अनुसूची में संशोधन (अगस्त 2014) के कारण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने ₹662.42 लाख की संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी (अक्टूबर 2015) की और विभाग ने अंततः पहली तकनीकी स्वीकृति से 30 माह विलम्ब के बाद जनवरी 2016 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार, दरों की अनुसूची में संशोधन के कारण विभाग को परिहार्य लागत वृद्धि ₹246 लाख का वहन करना पड़ा।

तालिका 3.1.3: खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा निधि जारी नहीं करने के कारण विलंब

कार्य और क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्ण होने हेतु निर्धारित दिनांक	स्थिति	टिप्पणियां
गोटेगांव, नरसिंहपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण (परियोजना क्रियान्वयन इकाई)	₹95.40 लाख (मार्च 2012)	15.11.2013	कार्य दिसंबर 2016 में कुल 37 माह के विलम्ब के साथ पूर्ण हुआ।	विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई को समय पर निधि जारी करने में विफल रहा। परियोजना क्रियान्वयन इकाई को दूसरी किस्त (मार्च 2015) प्रदान करने में 36 माह का विलम्ब हुआ था, जिसके कारण कार्य बाधित हुआ था । जैसा कि पर्यवेक्षण और गुणवत्ता

कार्य और क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्ण होने हेतु निर्धारित दिनांक	स्थिति	टिप्पणियां
				नियंत्रण मॉनिटर द्वारा देखा गया कि प्लिंथ बीम के लिए सेंट्रिंग में और ठेकेदार द्वारा किए गए स्टील के अमानक कार्यों के संबंध में की गई किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं पाया गया था।
मंदसौर में मिनी खेल परिसर का निर्माण (नगर पालिका परिषद)	₹40.00 लाख (मार्च 2011)	30.06.2014	कार्य जून 2017 में 35 माह के विलम्ब के साथ पूर्ण हुआ। इसे विभाग को नहीं सौंपा जा सका था लेकिन जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी को पूर्ण कार्य नहीं सौंपे जाने के कारण उपलब्ध नहीं कराए गए थे।	मार्च 2011 में विभाग द्वारा पहली किस्त जारी करने के पश्चात, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी तथा कलेक्टर के बार–बार अनुरोध के बावजूद विभाग द्वारा अगली किस्तें अत्यधिक विलम्ब (नवंबर 2014 और मई 2018) से जारी की गईं।
रानीताल खेल परिसर, जबलपुर में सिंथेटिक हॉकी मैदान का निर्माण (परियोजना क्रियान्वयन इकाई)	₹481.38 लाख (मई 2012)	31.03.2013	सिंथेटिक हॉकी मैदान बिछाने का काम अक्टूबर 2017 में साढ़े चार वर्ष के विलम्ब के साथ पूर्ण हुआ।	सिंथेटिक हॉकी मैदान का स्थान उचित नहीं था क्योंकि यह भू–सतह से दो मीटर नीचे था। इसलिए, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर ने भूमि के भराव और दो गेटों के निर्माण के साथ–साथ चाहरदीवारी निर्माण पर भारत सरकार (शहरी खेल अधोसंरचना योजना के अंर्तगत) से प्राप्त राशि से निर्माण पर ₹156.67 लाख व्यय किया, जो कि सिंथेटिक हॉकी मैदान बिछाने के लिए था। सिंथेटिक हॉकी मैदान बिछाने का कार्य एजेंसी द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा धनराशि की भरपाई के बाद ही पूरा किया जा सका। विभाग एजेंसी को समय पर धनराशि प्रतिपूर्ति करने में विफल रहा।

तालिका 3.1.4: त्रुटिपूर्ण स्थल चयन के कारण कार्य प्रारंभ नहीं होना

कार्य और क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्ण होने हेतु निर्धारित दिनांक	स्थिति	टिप्पणियां
सिंथेटिक हॉकी मैदान का निर्माण, इंदौर (परियोजना क्रियान्वयन इकाई)	₹518.58 लाख अगस्त 2016 में (प्रशासनिक स्वीकृति)	––	अतिक्रमण के कारण चयनित स्थल उचित नहीं पाया गया, जिसके कारण उक्त कार्य के लिए एक अन्य स्थल (अरण्य नगर) का चयन (दिसंबर, 2017) किया गया था, लेकिन नगर निगम, इंदौर द्वारा जारी सशर्त एन.ओ.सी. के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप, कार्य 43 माह के व्यतीत होने के बावजूद शुरू (मार्च 2020) नहीं हो सका।	स्टेडियम नीति 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन में, विभाग ने भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना निर्माण कार्य की योजना बनाई, जिसके परिणामस्वरूप, कार्य शुरू नहीं हो सका।
बरोद, श्योपुर में स्टेडियम का निर्माण, (मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम)	₹159.86 लाख सितम्बर 2016 में (प्रशासनिक स्वीकृति)	––	तकनीकी स्वीकृति (सितंबर 2014) से तीन साल व्यतीत होने के बाद मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, आर्किटेक्ट और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, श्योपुर द्वारा आवंटित भूमि का निरीक्षण (मई 2017) संयुक्त रूप से किया गया था। यह पाया गया कि भूखंड भू–स्तर से चार से पाँच फीट नीचे और नदी की धारा की दिशा में स्थित है जो स्टेडियम निर्माण के लिए अनुपयुक्त था तथा कलेक्टर, बरोद तीन किलोमीटर के दायरे में आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थ थे। इसलिए, प्रशासनिक स्वीकृति के 37 माह व्यतीत होने बाद भी कार्य शुरू नहीं किया जा सका (अक्टूबर 2019)। आगे, क्रियान्वयन एजेंसी को कार्य के लिए आवंटित ₹68.64 लाख की राशि अवरुद्ध है।	

तालिका 3.1.5: ठेकेदार को ड्राइंग, डिजाइन और ले–आउट प्रदाय करने में विलंब

कार्य और क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्ण होने हेतु निर्धारित दिनांक	स्थिति	टिप्पणियां
मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी भोपाल की हाई बुलेट प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल (मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम)	₹92.10 लाख (मार्च 2015)	04.05.2016	कार्य 30 माह के विलम्ब के साथ 17.11.2018 को पूर्ण हुआ।	कार्य पूर्ण करने के लिए निर्धारित समयसीमा छः महीने थी लेकिन मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के उप ठेकेदार ने इसे 30 माह के विलम्ब के साथ पूर्ण किया जिसमें से 20 माह का विलम्ब मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा निर्माण के लिए लेआउट विलम्ब से प्रदाय करने के कारण हुआ।
इंडोर हॉल शिवपुरी (परियोजना क्रियान्वयन इकाई)	₹97.61 लाख (अप्रैल 2018)	07.04.2019	कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है	बार–बार अनुरोध के बावजूद परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने ठेकेदार को डिजाइन, ड्राइंग और लेआउट प्रदान नहीं किया, जिसके कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका और अक्टूबर 2020 तक 18 माह का विलम्ब हुआ।
इंडोर हॉल, बैराड, शिवपुरी (परियोजना क्रियान्वयन इकाई)	₹91.49 लाख (अप्रैल 2018)	07.04.2019	कार्य 14 माह के विलम्ब के साथ 30.06.2020 को पूर्ण हुआ।	बार–बार अनुरोध के बावजूद परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने ठेकेदार को डिजाइन, ड्राइंग और लेआउट प्रदान नहीं किया जिसके कारण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका।
इंडोर हॉल, कोलारस, शिवपुरी (परियोजना क्रियान्वयन इकाई)	₹91.49 लाख (अप्रैल 2018)	18.04.2019	कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ हैं।	बार–बार अनुरोध के बावजूद परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने ठेकेदार को डिजाइन, ड्राइंग और लेआउट प्रदान नहीं किया जिसके कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका और अक्टूबर 2020 तक 18 माह का विलम्ब हुआ।

तालिका 3.1.6: क्रियान्वयन एजेंसियों की ओर से विलम्ब

कार्य और क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्ण होने हेतु निर्धारित दिनांक	स्थिति	टिप्पणियां
गोकुलपुर, जबलपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण (परियोजना क्रियान्वयन इकाई)	₹74.75 लाख (जुलाई 2012)	10.07.2015	कार्य सात माह के विलम्ब के साथ 15.02.2016 को पूर्ण हुआ।	एजेंसी द्वारा निविदा में और ठेकेदार के चयन में विलम्ब के कारण कार्य देर से शुरू हुआ था। विभाग ने आठ माह के विलम्ब से अक्टूबर 2016 में अधूरे निर्माण का आधिपत्य लिया।

उपरोक्त निष्कर्ष दर्शाते है कि प्रशासनिक अनुमोदन स्वीकृति करने, एजेंसियों को समय से निधि आवंटित करने, स्थल चयन, समय–समय पर क्रियान्वयन एजेंसियों के कार्य प्रगति की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के माध्यम से निगरानी और उच्च स्तर पर समीक्षा बैठकों में सारभूत कमियाँ थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित अधिकारियों ने निर्माण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी और न ही उन्होंने चूक करने वाली क्रियान्वयन एजेंसियों के विरूद्ध किसी भी तरह के दंड प्रावधान जैसे कि क्षतिपूर्ति हर्जाना आदि को शामिल किया।

उत्तर में, प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि विभागीय समितियों की मंजूरी के बाद कार्य करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी और विभाग स्तर पर कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ था। आगे कहा गया कि शासकीय निर्माण एजेंसियों/विभागों पर उनका कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, हालांकि, नियत समय में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठकें/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। विभाग के अधिकारियों को निगरानी करने एवं उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे और अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर खेल अधोसंरचना के निर्माण के लिए चरणबद्ध तरीके से निधियां आवंटित की गयीं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अनुमोदन देने में पर्याप्त विलम्ब हुआ है जैसा कि लेखापरीक्षा किए गये जिलों के लिए उदाहरणात्मक दृष्टांत में दर्शाया गया है। आगे, क्रियान्वयन एजेंसियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए उपयुक्त दंडात्मक प्रावधान और समयसीमाएं निर्धारित नहीं की गई थी। विभाग ने क्रियान्वयन एजेन्सियों के साथ की गई समीक्षा, बैठकों आदि के समर्थन में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

3.1.7.5 निधियों का अवरूद्ध होना

रांझी (जबलपुर) में खेल परिसर के निर्माण के लिए, खेल और युवा कल्याण विभाग ने ₹दो करोड़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर (दिसंबर 2010 से फरवरी 2013) को आवंटित किए जिसके विरूद्ध परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर ने उक्त कार्य पर ₹1.55 करोड़ व्यय किया और ₹29.00 लाख खेल और युवा कल्याण विभाग को वापस किया। आगे, यह देखा गया कि सात वर्षों की अवधि के बाद भी ₹16.42 लाख की शेष राशि को न तो परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा वापस किया गया था और न ही खेल और युवा कल्याण विभाग/जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी द्वारा इसकी मांग की गई थी।

सुवासरा (मंदसौर) में खेल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए, खेल और युवा कल्याण विभाग ने मार्च 2008 से मार्च 2012 के दौरान ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, मंदसौर को ₹25.00 लाख आवंटित किया, जिसके विरुद्ध ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, मंदसौर ने उक्त कार्य पर ₹22.35 लाख व्यय किया। आगे, यह देखा गया कि सात वर्षों की अवधि के बाद भी ₹2.65 लाख की शेष राशि ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, मंदसौर द्वारा न तो वापस की गई और न ही खेल और युवा कल्याण विभाग/जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा इसकी मांग की गई।

उत्तर में, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर ने कहा (जनवरी 2020) कि राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, मंदसौर और खेल और युवा कल्याण विभाग के उत्तर अक्टूबर 2020 की स्थिति में प्राप्त होने बाकी थे।

3.1.8 खेल अधोसंरचना का संधारण

3.1.8.1 संधारण कर्मचारियों की कमी

मध्य प्रदेश शासन ने मार्च 2017 में स्टेडियम नीति की घोषणा की, जिसमें स्टेडियम नीति में निर्मित खेल अधोसंरचना के संचालन और संधारण के लिए संविदात्मक आधार पर न्यूनतम अमले का प्रावधान था।

खेल और युवा कल्याण विभाग के अभिलेखो की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी (दिसंबर 2019), राज्य में संधारण कर्मचारियों की 60 प्रतिशत कमी थी जिसका विवरण नीचे **तालिका 3.1.7** में दिया गया है:–

तालिका 3.1.7: दिसंबर 2019 की स्थिति में संधारण कर्मचारियों (संविदात्मक) के स्वीकृत पद (एस.एस.)/पदस्थ कर्मचारियों (पी.आई.पी.) की स्थिति

विवरण	राज्य मे खेल और युवा कल्याण विभाग में स्वीकृत पद एवं पदस्थ कर्मचारी		
	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मचारी	कमी (प्रतिशत में)
सुरक्षा गार्ड	103	59	44 (42.72)
सफाई कर्मी	106	27	79 (74.53)
ग्रांउडसमेन	82	29	53 (64.63)
कुल	**291**	**115**	**176 (60.48)**

स्रोतः खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जबलपुर और दमोह में दो खेल सुविधाएं अनुचित संधारण के कारण जीर्ण–शीर्ण स्थिति में थी।

जबलपुर और दमोह में अनुचित संधारण को दर्शाते चित्रः

मिनी स्टेडियम गोकुलपुर रांझी, जबलपुर (फरवरी 2016 को पूरा हुआ और अक्टूबर 2016 में सौंपा गया)। टॉयलेट सीट और गेट टूटे हुए थे। पानी और बिजली का कनेक्शन नहीं था। चारों तरफ कचरा फैला पाया गया। **मिनी स्टेडियम का उपयोग नहीं हो रहा है।**	**तेंदूखेड़ा मिनी स्टेडियम, दमोह (मई 2014 में पूर्ण और सौंपा गया)। दरवाजे, खिड़कियां उपलब्ध नहीं थे और चारों तरफ गोबर फैला हुआ पाया गया।** **मिनी स्टेडियम का उपयोग नहीं हो रहा है।**

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि, संधारण शीर्ष में, कुल आवंटन ₹10.63 करोड़ (अप्रैल 2017 से मार्च 2019), में से राशि ₹9.52 करोड़ का ही उपयोग किया जा सका और राशि ₹1.11 करोड़ अनुपयोगी पड़ी रही।

उत्तर में, प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि वर्ष 2017 से पहले निर्मित खेल अधोसंरचनाओं के संचालन और संधारण के लिए कोई अमला स्वीकृत नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग स्वयं को नीति के स्थापन से पहले निर्मित खेल सुविधाओं के संधारण से विमुक्त नहीं कर सकता। इसके राज्य में खेल को बढ़ावा देने की दृष्टि से गंभीर प्रतिकूल परिणाम होंगे।

3.1.9 खेल अधोसंरचनाओं का अनुपयोगी/क्षमता से कम उपयोग होना

खेल अधोसंरचनाओं के उपयोग की स्थिति नीचे **तालिका 3.1.8** में दर्शायी गई है:

तालिका 3.1.8: चयनित जिलों में खेल अधोसंरचना सुविधाओं के उपयोग की स्थिति

लेखापरीक्षित जिला	सुविधाओं की संख्या	उपयोग किया गया	उपयोग नही किया गया
भोपाल	05	5	0
दमोह	06	3	3
होशंगाबाद	02	1	1
जबलपुर	06	5	1[82]
मंदसौर	00[83]	0	2

[82] रानीताल खेल काम्पलेक्स, जबलपुर क्षमता से कम उपयोग में थी।

लेखापरीक्षित जिला	सुविधाओं की संख्या	उपयोग किया गया	उपयोग नही किया गया
नरसिंहपुर	03	2	1
शिवपुरी	02	2	0
कुल	**24**	**18**	**8**

स्रोतः खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी

3.1.9.1 खेल अधोसंरचना के अनुपयोगी रहने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय

क. तेंदुखेडा, दमोह में मिनी स्टेडियम

परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने मई 2014 में तेंदुखेड़ा, दमोह में मिनी स्टेडियम का निर्माण लागत ₹ 40.68 लाख से पूर्ण किया। स्टेडियम के संयुक्त निरीक्षण (जनवरी 2020) के दौरान लेखापरीक्षा दल ने पाया कि दरवाजे, खिड़कियां, बिजली की फिटिंग और सामान जैसे फुटबॉल के खंभे, हैंडबॉल के खंभे और खो–खो के खंभे आदि गायब थे जिसे **कंडिका 3.1.8.1** मे दर्शाये गये चित्र से देखा जा सकता है।

जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा (जनवरी 2020) कि मिनी स्टेडियम का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि जिला कलेक्टर द्वारा प्रदान की गई भूमि दुर्गम, शहर से बहुत दूर और बिना संपर्क मार्ग के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित थी। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी ने आगे कहा कि संधारण कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण, स्टेडियम का संधारण नहीं किया गया।

अनुपयुक्त स्थल चयन के कारण, स्टेडियम का उपयोग इसके निर्माण के छः वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी नही किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹40.68 लाख का निष्फल व्यय हुआ और खिलाड़ी भी वांछित लाभ से वंचित रहे।

ख. हट्टा, दमोह में मिनी स्टेडियम

विभाग ने परियोजना क्रियान्वयन इकाई के माध्यम से हट्टा, दमोह में मिनी स्टेडियम (प्रदान की गई सुविधाएं वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो–खो और कबड्डी) के निर्माण के लिए ₹43.29 लाख व्यय किए। परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने अक्टूबर 2013 में मिनी स्टेडियम विभाग को सौंपा। यद्यपि, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के बार–बार अनुरोध (अप्रैल 2017, दिसंबर 2018 और मार्च 2019) के बावजूद विभाग ने जनवरी 2020 तक खो–खो और कबड्डी के लिए प्रशिक्षकों के दो पदों को नहीं भरा, फलस्वरूप सुविधा का उपयोग पिछले सात वर्षों से नही हो सका।

ग. मिनी स्टेडियम, बटियागढ़

विभाग ने परियोजना क्रियान्वयन इकाई के माध्यम से दमोह के बटियागढ़ में मिनी स्टेडियम के निर्माण पर ₹94.82 लाख व्यय किए। परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने यह सुविधा जनवरी 2016 में सौंपी। यद्यपि, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के बार–बार अनुरोध (अप्रैल 2017, दिसंबर 2018 और मार्च 2019) के बावजूद विभाग ने जनवरी 2020 तक खो–खो और कबड्डी के लिए दो

[83] मंदसौर में दो खेल सुविधाएं निर्माणाधीन थीं, यथा, सुवासरा में खेल प्रशिक्षण केंद्र और मिनी खेल परिसर, मंदसौर जिन्हें क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रमशः सितंबर 2012 और जून 2017 में पूर्ण किया गया। पूर्ण संरचनाओं को खेल विभाग को नहीं सौंपा गया, अभिलेख में कारण उपलब्ध नहीं था।

प्रशिक्षकों और एक ग्राउंड मैन के पद को नहीं भरा फलस्वरूप मिनी स्टेडियम का उपयोग चार वर्षों से नहीं हुआ।

घ. इटारसी में स्टेडियम

विभाग ने परियोजना क्रियान्वयन इकाई के माध्यम से स्टेडियम के निर्माण पर ₹6.30 करोड़ व्यय किए। परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने फरवरी 2019 में स्टेडियम विभाग को सौंपा। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने संयुक्त निरीक्षण (जनवरी 2020) में देखा कि क्रियान्वयन एजेंसी ने सौंपने से पूर्व जनवरी 2020 तक फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट को पूर्ण नहीं किया था। इस प्रकार, स्टेडियम का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका।

जनवरी 2020 में स्टेडियम की स्थिति दर्शाने वाले चित्र नीचे दिये गये हैं: –

इटारसी, होशंगाबाद में स्टेडियम

ड. करेली, नरसिंहपुर में मिनी स्टेडियम

मुख्यमंत्री ने करेली में मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा (सितंबर 2008) की थी। विभाग ने अप्रैल 2012 में परियोजना क्रियान्वयन इकाई को ₹56.42 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी। कार्य पूर्ण (अगस्त 2014) किया गया और मार्च 2015 में विभाग को सौंपा गया।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2020) कि अपूर्ण भूसमतलीकरण/घास न लगने के कार्यों के कारण खेल मैदान खेलने योग्य नही था जैसा कि नीचे दिये गये चित्रों में देखा जा सकता हैं:

करेली, नरसिंहपुर में मिनी स्टेडियम

जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, नरसिंहपुर ने इस तथ्य को स्वीकार किया (जनवरी 2020) और कहा कि खेल और युवा कल्याण विभाग के पास इसकी निगरानी के लिए तकनीकी टीम नहीं हैं।

च. खेल प्रशिक्षण केंद्र (एस.टी.सी.) सुवासरा, मंदसौर

विभाग ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण पर ₹22.35 लाख व्यय किया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय पर निधि जारी नहीं करने के कारण ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं ने खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण 25 माह के विलम्ब के साथ सितंबर 2012 में पूर्ण किया। चाहरदीवारी के निर्माण और भूमि के समतल न होने के कारण विभाग सुविधा का उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि यह लगभग आठ वर्षों तक इन कार्यों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण नही कर सका।

लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर में, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, मंदसौर ने कहा (जनवरी 2020) कि खेल और युवा कल्याण विभाग क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण नही कर सका इसलिए चाहरदीवारी और भूमि को समतल करने का कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थिति दर्शाने वाला चित्र नीचे दिया गया है।

सुवासरा (मंदसौर) में खेल प्रशिक्षण केन्द्र

छ. मंदसौर में मिनी खेल परिसर

विभाग ने नगर पालिका परिषद (एन.पी.पी.) के माध्यम से मंदसौर में मिनी खेल परिसर के निर्माण पर ₹38.30 लाख व्यय किए। नगर पालिका परिषद ने जून 2017 में सुविधा पूर्ण की। विभाग ने जनवरी 2020 तक मिनी स्टेडियम का आधिपत्य नहीं लिया था। हालांकि, विभाग ने जुलाई 2017 में ₹87.68 लाख मूल्य के उपकरण[84] खरीदे, जो दो वर्षों से अधिक समय से बिना उपयोग के रखे रहे जैसा कि नीचे दिये चित्र में देखा जा सकता है। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने स्वीकार किया कि उपकरण संस्थापित नहीं थे।

[84] कमर्शियल ट्रेड मिल, कमर्शियल अपराइट बाइक, फ्लैट बेंच, डंब बेल्स, ओलंपिक रॉड, ओलंपिक प्लेट, एबडोमिनल बेंच, डबल केबल क्रॉस, व्यायाम चटाई।

मंदसौर मे बिना उपयोग के रखे उपकरण

ज. दतिया में जल क्रीड़ा केंद्र

विभाग ने ₹97.24 लाख की लागत से दतिया में जल क्रीड़ा केंद्र[85] का निर्माण (फरवरी 2016) पूर्ण किया। केंद्र को चालू करने के लिए, विभाग ने आवश्यक उपकरणों[86] की खरीद के लिए जून 2017 मे ₹58.69 लाख स्वीकृत किए, परन्तु धनराशि जारी नहीं होने के कारण 16 माह की अवधि के बाद भी खरीद नहीं की जा सकी एवं केंद्र मार्च 2020 तक अनुपयोगी रहा।

उत्तर में, प्रमुख सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग ने कहा (जून 2020) कि तेंदूखेड़ा (दमोह), सुवासरा (मंदसौर), करेली (नरसिंहपुर) और जल क्रीडा केंद्र, दतिया स्थानीय मुद्दों के कारण चालू नहीं हुए थे, जिसके संचालन के लिए प्रयास किए जा रहे थे। विभाग ने मिनी स्टेडियम हट्टा, बटियागढ़, मंदसौर और इटारसी स्टेडियम के उपयोग न किये जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि स्टेडियम के आधिपत्य के बिना उपकरण की खरीद, अधूरे कार्य के कारण स्टेडियम का उपयोग नहीं करना एवं निधि जारी न करना स्थानीय मुद्दों के बजाय प्रबंधन की विफलताओं के उदाहरण हैं।

3.1.9.2 खेल अधोसंरचना का क्षमता से कम उपयोग होना

क. रानीताल खेल परिसर, जबलपुर

रानीताल खेल परिसर, जबलपुर में सिंथेटिक हॉकी मैदान का विकास ₹4.77 करोड़ का व्यय कर किया गया (कार्य अक्टूबर 2017 में पूर्ण हुआ) और हॉकी मैदान के अधिकतम उपयोग के लिए राशि ₹52.60 लाख की लागत से जून 2018 में मैदान में फ्लडलाइट्स भी स्थापित किए गये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि रानीताल खेल परिसर के हॉकी मैदान में कोई बिजली कनेक्शन नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप फ्लडलाइट्स संस्थापित किये जाने के बाद भी उपयोग नहीं हुई (20 माह)। इस प्रकार, फ्लडलाइट्स की स्थापना पर ₹52.60 लाख का व्यय होने के बाद भी, हॉकी मैदान का क्षमता से कम उपयोग हुआ।

विभाग ने अक्टूबर 2020 तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

---

85 क्याकिंग और कैनोइंग की सुविधायें।

86 मोटर बोट 30 एचपी (1), क्योक –1 (6), क्योक –2 (6), कैनो –1 (6), कैनो –2 (6), लाइफ जैकेट (40), पैडल क्योक (25), पैडल कैनो (25), नी पैड कैनो (40), ज़ेटी 10X10 (100 वर्गमीटर)।

ख. एक्वाटिक एवं ट्रायथलॉन अकादमी, होशंगाबाद

जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, होशंगाबाद में एक्वाटिक और ट्रायथलॉन अकादमी के अभिलेखों की जाँच में पाया कि मौजूदा एक्वाटिक अकादमी की स्थापना (2016) के बाद से इसका उपयोग क्षमता से कम (54.22 प्रतिशत) हुआ है। अकादमी मे 75 खिलाड़ियों के खेलने की क्षमता है, यद्यपि, इसकी आधे से अधिक क्षमता रिक्त रही। विवरण नीचे इस प्रकार हैं:

तालिका–3.1.9: एक्वाटिक और ट्रायथलॉन अकादमी के उपयोग किये जाने का विवरण

अवधि	खिलाड़ियों की स्वीकृत संख्या	पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या	कमी	कमी (प्रतिशत में)
2016–17	75	31	44	58.67
2017–18	75	36	39	52.00
2018–19	75	36	39	52.00

स्रोतः खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं अभिलेख

उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते है कि विभाग ने अकादमी को उचित आंकलन के साथ स्थापित नहीं किया अथवा अकादमी से जुड़ने हेतु स्थानीय लोगों के बीच रुचि उत्पन्न नहीं कर सका जिससे अकादमी का उपयोग क्षमता से कम रहा।

विभाग ने अक्टूबर 2020 तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

3.1.10 प्रशिक्षकों और ट्रेनर की स्थिति

विभाग ने ग्वालियर की बैडमिंटन अकादमी, भोपाल की शूटिंग पिस्टल अकादमी (10 मीटर) एवं जूडो अकादमी और होशंगाबाद की एक्वाटिक अकादमी (ट्रायथलॉन/डाइविंग) में कोई प्रशिक्षक तैनात नहीं किया।

राज्य की 18 खेल अकादमियों में खेलवार स्वीकृत और कार्यरत प्रशिक्षकों का विवरण नीचे **तालिका 3.1.10** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.1.10: खेल अकादमियों में स्वीकृत पद और कार्यरत प्रशिक्षकों का दिसंबर 2019 की स्थिति में विवरण

क्र.सं.	खेल	स्वीकृत	कार्यरत	कमी
1.	तीरंदाजी	4	3	1
2.	बैडमिंटन	4	0	4
3.	बॉक्सिंग	4	2	2
4.	क्रिकेट	4	1	3
5.	घुड़सवारी	4	2	2
6.	जल क्रीड़ा	12	4	8
7.	शूटिंग	20	7	13
8.	हॉकी	8	2	6
9.	कुश्ती	4	2	2
10.	तैराकी	12	1	11
11.	एथलेटिक्स	12	3	9
12.	मार्शल आर्ट	16	9	7
	कुल	**104**	**36**	**68**

स्रोतः खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि स्वीकृत पदों की तुलना में प्रशिक्षकों की उपलब्धता बहुत कम थी और यह कमी 65 प्रतिशत थी। इस प्रकार, पदों की स्वीकृति के बाद भी रिक्त पदों को न भरने के कारण 18 खेल अकादमियों का उपयोग न होना अथवा क्षमता से कम उपयोग होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अभिलेखों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति न किये जाने के कारण नहीं पाए गए।

राज्य में स्वीकृत और उपलब्ध ट्रेनर के संबंध में विवरण **तालिका 3.1.11** में दर्शाये गए हैं:

तालिका 3.1.11: दिसंबर 2019 की स्थिति में अकादमियों के अलावा स्वीकृत और कार्यरत ट्रेनरों की स्थिति

क्र. स.	ट्रेनर का विवरण	स्वीकृत	कार्यरत	कमी
1	ट्रेनर सह प्रशासक	02	0	02
2	मुख्य ट्रेनर सह प्रशासक	02	01	01
3	सहायक ट्रेनर सह सहायक प्रशासक	10	03	07
4	सहायक ट्रेनर	17	06	11
5	जिला खेल ट्रेनर ग्रेड–1/ग्रेड–2	121	99	22
6	मलखम्भ खेल ट्रेनर	12	12	0
7	संविदा खेल ट्रेनर	45	09	36
8	ट्रेनर ग्रेड–1	03	01	02
9	सहायक ट्रेनर ग्रेड–2	03	01	02
10	मुख्य ट्रेनर	03	0	03
11	ट्रेनर	11	04	07
कुल		**229**	**136**	**93**

स्रोतः खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी

स्वीकृत पदों की तुलना में उपलब्ध ट्रेनरों की संख्या 41 प्रतिशत कम थी, जो राज्य द्वारा निर्मित किये गए खेल अधोसंरचना के उपयोग न होने या क्षमता से कम उपयोग होने को इंगित करता है।

अभिलेखों मे ट्रेनरों की नियुक्ति न किये जाने के कारण नहीं पाए गए।

उपर्युक्त पर विभाग ने अक्टूबर 2020 तक कोई उत्तर नहीं दिया।

3.1.10.1 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कौशल को उन्नत करने के लिए, यह आवश्यक है कि प्रशिक्षक एवं खेल सलाहकार भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.), व्यक्तिगत खेल निकायों, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन (ग्वालियर), नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्पोर्ट्स (पटियाला एवं बैंगलोर), आदि द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हों।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014–19 के दौरान कोई भी प्रशिक्षक किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था। इस प्रकार, विभाग ने पदस्थ प्रशिक्षकों को उनके कौशल और ज्ञान के उन्नयन के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया।

लेखापरीक्षा आपत्तियो के उत्तर में, खेल और युवा कल्याण विभाग ने पुष्टि की (जनवरी 2020) कि किसी भी प्रशिक्षक को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया है। आगे, यह भी कहा कि इस संबंध में एक नई योजना (प्रशिक्षक विकास योजना) अक्टूबर 2019 में तैयार की गई है।

3.1.11 खेल अकादमियों के लिए उपकरणों की खरीद

खेल अकादमियों हेतु फिटनेस उपकरणों की खरीद के लिए विभाग ने अक्टूबर 2015 में ई–निविदा जारी की और फरवरी 2016 में तीन आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया। एन.आई.टी. के पैरा 3.1 के अनुसार, आपूर्ति कार्यादेश जारी होने के दो माह के भीतर पूरी की जानी चाहिए और पैरा 12.1 के अनुसार, विलंबित आपूर्ति के लिए प्रत्येक सप्ताह या उसके भाग का एक प्रतिशत की दर से शास्ति लगाई जानी थी। फरवरी 2016 से जनवरी 2018 के दौरान ₹5.71 करोड़ मूल्य के फिटनेस उपकरणों की आपूर्ति के लिए 53 आपूर्ति आदेश जारी किए गए थे। विभाग ने 34 आपूर्ति आदेशों से संबंधित उपकरण दो माह की निर्धारित अवधि के विपरीत 12 से 196 दिनों के विलम्ब के साथ प्राप्त किये और आपूर्तिकर्ताओं को ₹3.28 करोड़ का भुगतान किया गया। यद्यपि, विभाग ने आपूर्तिकर्ताओं पर आपूर्ति में विलम्ब हेतु ₹23.72 लाख की शास्ति आरोपित नहीं की **(*परिशिष्ट 3.1.5*)**।

विभाग ने अक्टूबर 2020 तक कोई उत्तर नहीं दिया।

3.1.12 जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी स्तर पर अभिलेखीकरण का अभाव

खेल और युवा कल्याण विभाग (जनवरी 2002) द्वारा जारी जिला खेल अधिकारियों के कर्तव्यों में आधारभूत खेल अधोसंरचना सुविधाओं और इसके अद्यतनीकरण, खेल गतिविधियों के सुचारू संचालन आदि से संबंधित अभिलेखों का संधारण शमिल था।

सात जिला खेल अधिकारियों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारियों (डी.एस.ओ.) के स्तर पर खेल अधोसंरचनाओं के उपयोग और निगरानी से संबंधित अभिलेख नहीं थे:

- लेखापरीक्षा के लिए चुने गए सात जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारियों में से किसी के द्वारा संपत्ति पंजी संधारित नही की गई थी।
- आधारभूत खेल अधोसंरचना की उपलब्धता और इसके अद्यतन/संधारण से संबंधित जानकारी जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थी।
- जिला स्तर पर खेल सुविधाओं की उपयोगिता से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।
- दैनिक आधार पर खेल मैदान/स्टेडियम आदि का उपयोग करने वाले युवाओं की संख्या के बारे में जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी अनुमान के आधार पर थी।

राज्य के पास खेल और युवा कल्याण के लिए एक अलग विभाग और जिला स्तर पर जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी हैं तथापि इसके पास न तो जिलों/ब्लॉक मुख्यालयों में, न ही स्कूलों, कॉलेजों आदि में उपलब्ध खेल अधोसंरचना की डेटा/जानकारी है। यह जिला स्तर पर खेल प्रतियोगितायें आयोजित करने के बावजूद है।

विभाग (प्रमुख सचिव) ने अक्टूबर 2020 तक उत्तर नहीं दिया।

3.1.13 निष्कर्ष

विभाग की खेल नीति, 2005 में पाँच वर्षों के भीतर प्रत्येक गाँव में एक खेल मैदान विकसित करने का लक्ष्य था। हालांकि, विभाग 2005–19 के दौरान राज्य में 54,903 गाँवों के विरूद्ध अपने स्तर पर मात्र 253 खेल मैदानों का ही निर्माण कर सका, जो कि विभागीय प्रयासों की अपर्याप्तता या खेल

नीति के अवास्तविक लक्ष्य को दर्शाता है। 2014–19 के दौरान, विभाग ने 15 आदिवासी बहुल जिलों में एक भी खेल अकादमी की स्थापना नहीं की; यद्यपि इसने अपनी खेल नीति में जनजातीय जनसंख्या की छिपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाने हेतु उपाय करने की बात कही थी और जनजातीय उप योजना के तहत ₹36.41 करोड़ व्यय किया। विभाग ने अपने अनुबंधों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन नहीं किया क्योंकि इसने निर्माण के लिए समय–सीमा निर्धारित नहीं की अथवा क्रियान्वयन एजेंसियों के विरूद्ध क्षतिपूर्ति हर्जाना, अर्थदंड या शास्ति इत्यादि के प्रावधान निर्धारित नहीं किये थे। विभिन्न मामलों में विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति और एजेंसियों को निधि जारी करने में विलम्ब किया, जो खेल अधोसंरचनाओ के समय पर निर्माण न होने का कारण बना। अधूरे कार्यों, खेल मैदान की खराब स्थिति, मिनी स्टेडियम को न सौंपे जाने, आवश्यक उपकरणों की खरीदी न होने, कर्मचारियों की अनुपलब्धता और खेल उपकरणों का संस्थापन नहीं होने के कारण खेल अधोसंरचना अनुपयोगी रही। विभाग ने प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती और संधारण कर्मचारियों को कार्य पर लगाये जाने में सामंजस्य नहीं किया जिससे राज्य में खेल अकादमियों का या तो उपयोग नहीं हुआ या क्षमता से कम उपयोग हुआ। 18 खेल अकादमियों में प्रशिक्षकों की कमी 65 प्रतिशत तक थी।

3.1.14 अनुशंसाएं:

i. राज्य शासन को सम्पूर्ण राज्य के खेल अधोसंरचनाओं में कमियों की समीक्षा एवं समाधान करना चाहिए और सभी जिलों में खेल सुविधाओं का संतुलित विकास सुनिश्चित करना चाहिए। युवाओं (विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में) की क्षमता को पूर्णता प्रदाय करने के लिए इन सुविधाओं तक उनकी पहुंच मुहैया कराई जानी चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित निधि का, अन्य क्षेत्रों के लिए, विचलन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

ii. विभाग को अधोसंरचनाओं के निर्माण के संबंध में अनुबंधों के प्रबंधन में सुधार हेतु क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए अनुबंध पत्रों में समय–सीमा को जोड़ना, क्षतिपूर्ति, अर्थदंड एवं शास्ति आदि को समाविष्ट करने जैसे उपयुक्त उपाय करने चाहिए। विभाग को आवधिक रूप से एजेंसियों से नियमित समीक्षा बैठकों और एम.आई.एस. प्रतिवेदनों के प्रावधान के अतिरिक्त समय पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने, निधि के आवंटन इत्यादि के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना चाहिए।

iii. विभाग को क्रियान्वयन विभागों के साथ–साथ अपनी स्वयं की क्षेत्रीय इकाइयों से खेल अधोसंरचना के विकास से संबंधित जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए एक वेब–आधारित एम.आई.एस. प्रणाली को भी विकसित करना चाहिए।

iv. संधारण गतिविधियों के संपूर्ण विस्तार का विभाग द्वारा पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए और खेल अधोसंरचना के उचित संधारण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को संलग्न करने जैसे उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

v. विभाग को सभी अनुपयोगी और क्षमता से कम उपयोग होने वाली खेल अधोसंरचना की समीक्षा करनी चाहिए और इन सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए अमला, उपकरण और निधि उपलब्ध करानी चाहिए।

गृह विभाग

3.2 गृह (पुलिस) विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन

3.2.1 प्रस्तावना

गृह (पुलिस) विभाग मुख्य रूप से कानून प्रवर्तन और आंतरिक सुरक्षा के संधारण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु मानवशक्ति की आवश्यकताओं, उनके विनियमन, उनकी कुशल तैनाती और प्रभावी उपयोग को निर्धारित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली की स्थापना करना अत्यावश्यक है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अपराध दर इसके पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों के अनुसार 2019 के दौरान राज्य में दर्ज किए गए अपराधों की संख्या नीचे **चार्ट 3.2.1** में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.2.1: मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर

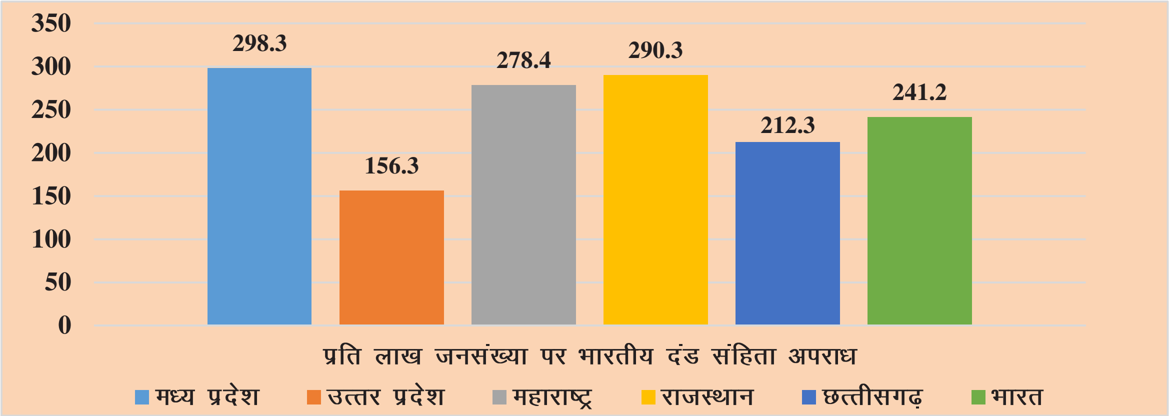

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आँकड़े

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि 2019 के दौरान मध्य प्रदेश में अपराध दर पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक थी और राष्ट्रीय औसत 241.2 से भी अधिक थी। हालांकि, पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य में प्रति एक लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की उपलब्धता उत्साहजनक नहीं है, जैसा कि नीचे दिए गए **चार्ट 3.2.2** से देखा जा सकता है। यह राष्ट्रीय औसत 158.22 से भी कम थी।

चार्ट 3.2.2: मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिसकर्मी

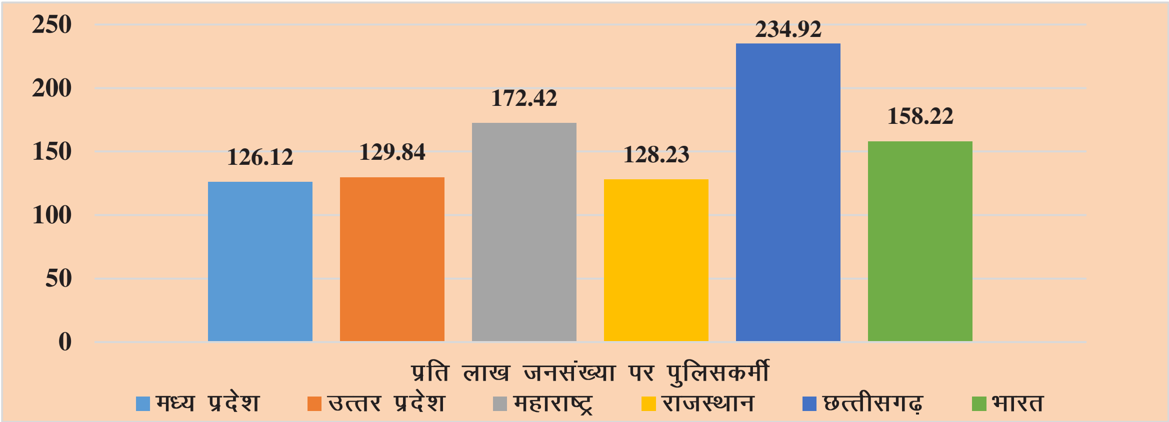

स्रोत: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के आँकड़े

संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर गृह विभाग का नेतृत्व अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) (गृह) द्वारा किया जाता है, जिन्हें सचिव (गृह) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) पुलिस बल के प्रमुख होते हैं और इन्हें विभिन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य में 11 पुलिस जोन, 15 पुलिस रेंज और 52 पुलिस जिले हैं। पुलिस जोन का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (आई.जी.पी.) करते हैं जिनकी सहायता उप पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा की जाती है। पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) जिला पुलिस बल के प्रमुख होते हैं तथा इन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। निरीक्षक/उपनिरीक्षक पुलिस थानों के मुखिया होते है और उन्हें प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

3.2.2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

जून 2019 से नवंबर 2019 तक पुलिस विभाग की लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के उद्देश्य से की गयी कि क्या विभाग का मानव संसाधन प्रबंधन प्रभावी था। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में पुलिस मुख्यालय (पी.एच.क्यू.), पाँच पुलिस अधीक्षक कार्यालय[87], चयनित पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के सभी 158 पुलिस थाने और पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल के अप्रैल 2018 से मई 2019 की अवधि के विभागीय अभिलेखों की जाँच शामिल थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को पुलिस विभाग में मानवशक्ति के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और पैमानों से प्राप्त मानदंडों और इस संबंध में दोनों सरकारों द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक दिशानिर्देशों, निर्देशों और परिपत्रों के आधार पर निर्धारित किया गया था।

प्रवेश सम्मेलन प्रमुख सचिव, गृह के साथ अगस्त 2019 में आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और मानदंडों के संबंध में विभाग के विचार मांगे गए थे। प्रारूप प्रतिवेदन विभाग को मई 2020 में जारी किया गया और प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय जून 2020 में निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा व्यक्त किए गए विचार और नवंबर 2020 में प्राप्त लिखित उत्तर पर विधिवत रूप से विचार किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पुलिस विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्षों जिसमें भर्ती, तैनाती और मानवशक्ति का प्रबंधन सम्मिलित है की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

3.2.3 मानवशक्ति प्रबंधन

पर्याप्त और कुशल मानवशक्ति और इसका कुशल प्रबंधन एक पुलिस संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य में पुलिस बल के प्रभावी कामकाज और कानून व्यवस्था के रखरखाव को निर्धारित करता है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एण्ड डी.) के आँकड़ों के अनुसार जनवरी 2019 की स्थिति में 1,28,287 स्वीकृत अमले के विरुद्ध पुलिस बल की कार्यरत क्षमता 1,01,751 थी। इस प्रकार विभाग में रिक्तियों की सीमा 20.68 प्रतिशत थी।

[87] बालाघाट, भिण्ड, ग्वालियर, इंदौर और शिवपुरी

3.2.3.1 पुलिस विभाग में भर्ती

राज्य सरकार की नीति (मई 2000) के अनुसार, पुलिस विभाग में रिक्त पदों को सीधी भर्ती और/या पदोन्नति द्वारा (निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार[88]) भरा जाता है, जैसा कि **तालिका 3.2.1** में दिया गया है।

तालिका 3.2.1: सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा भर्ती कोटा का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

पद	राजपत्रित/ अराजपत्रित	भर्ती कोटा का प्रतिशत	
		सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	राजपत्रित	–	100
उप पुलिस अधीक्षक	राजपत्रित	50	50
निरीक्षक/रक्षित निरीक्षक (आर.आई.)	अराजपत्रित	–	100
सूबेदार	अराजपत्रित	100	–
उप निरीक्षक (एस. आई.)	अराजपत्रित	50	50
उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल)	अराजपत्रित	40	60
सहायक उप निरीक्षक (ए.एस.आई.)	अराजपत्रित	–	100

पुलिस मुख्यालय में कार्मिक शाखा, अराजपत्रित पदों की रिक्ति की स्थिति का आंकलन करती है, जबकि पुलिस मुख्यालय, भोपाल की चयन/भर्ती शाखा सभी रिक्त पदों के संबंध में भर्ती के लिए मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (एम.पी.पी.ई.बी.) को सूचित करती है।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न संवर्गों/पदों में सारभूत रिक्तियां पाई, जैसा कि **तालिका 3.2.2** में वर्णित है।

तालिका 3.2.2: अक्टूबर 2019 की स्थिति में रिक्त पदों का विवरण

स. क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मी	रिक्त पदों की संख्या (प्रतिशत)
1.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	266	227	39 *(14.66)*
2.	उप पुलिस अधीक्षक	1,146	845	301 *(26.27)*
3.	रक्षित निरीक्षक	249	81	168 *(67.47)*
4.	निरीक्षक	2,558	1,607	951 *(37.18)*
5.	सूबेदार	386	283	103 *(26.68)*
6.	सूबेदार(अनुसचिवीय (एम)/आशुलेखक/ग्रेड I	137	63	74 *(54)*
7.	उप निरीक्षक	5,831	4,896	935 *(16)*
8.	उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल)	1,241	945	296 *(23.85)*
9.	सहायक उप निरीक्षक	12,017	7,226	4,791 *(39.87)*
10.	आशुलेखक	535	421	114 *(21.31)*
11.	कार्यालय अधीक्षक	50	29	21 *(42)*
12.	उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)	776	497	279 *(35.95)*
13.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	35	19	16 *(45.71)*
14.	लेखापाल	251	134	117 *(46.61)*
15.	उच्च श्रेणी लिपिक	100	61	39 *(39)*
16.	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)	1,777	1,735	42 *(2.36)*

स्रोत: पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदायित आँकड़े

[88] पुलिस के राजपत्र दिनांक 22.05.2000 और राजपत्र अधिसूचना क्र. 386 दिनांक 11.08.2011

माननीय उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय के 30 अप्रैल 2016 के आदेश (मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के संबंध में) के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) लंबित होने से इस प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी (12 मई 2016) किये गये जिसके कारण राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक और प्रधान आरक्षक के पदों पर पदोन्नति लंबित थी।

विभिन्न संवर्गों में बड़े पैमाने पर रिक्तियों के कारणों के लेखापरीक्षा विश्लेषण में निम्नलिखित पाया गया–

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता वाली चयन/भर्ती शाखा (एस.आर.बी.) ने विभिन्न संवर्गों/पदों के लिए विभिन्न संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से रिक्तियों का आंकलन करने के बावजूद मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजने में छः से 11 माह की देरी की। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 3.2.1*** में दिया गया है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय ईकाईयों से संबंधित जानकारी[89] प्रदान नहीं की गई थी।

2. आगे, चयन/भर्ती शाखा ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भर्ती प्रस्ताव भेजते हुए भर्ती के लिए पदों की कुल संख्या को बार–बार (2018 में तीन अवसरों पर और 2019 में चार अवसरों पर) बदला।

3. लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि पुलिस मुख्यालय या चयन/भर्ती शाखा ने स्वयं रिक्तियों की स्थिति के आंकलन और मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। आगे, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर 2018–19 के दौरान कोई भर्ती नहीं की।

4. मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री के निर्णय[90] के अनुसार सितंबर 2018 में पुलिस थानों/पुलिस लाइनों में पुलिस बल बढ़ाने, नए पुलिस थानों की स्थापना/चौकियों का पुलिस थानों में उन्नयन, पुलिस प्रशिक्षण शाला, यातायात प्रबंधन, आदि की मानवशक्ति में वृद्धि हेतु 5,750 पद (सूबेदार, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक) सृजित किए। विभाग को इन पदों पर दो चरणों (पहले चरण में 3,500 और दूसरे चरण में 2,250) में भर्ती करनी थी। हालांकि, विभाग ने दिसंबर 2019 तक इन नव सृजित पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को नहीं भेजा।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2019 और सितंबर 2020) कि राज्य में नवंबर 2018 और अप्रैल–मई 2019 में क्रमशः विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने के कारण रिक्तियों को नहीं भरा जा सका। अन्य कारणों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में 14 से 27 प्रतिशत का पुनरीक्षण और आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के क्रियान्वयन, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से (अक्टूबर 2019) सभी जिलों के लिए 100 सूत्रीय रोस्टर रजिस्टर जारी करना, नए सृजित पदों के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से रिक्ति की स्थिति देरी से प्राप्त होना और विभाग द्वारा दिसंबर 2019 में भर्ती हेतु बनाए गए नए भर्ती नियमों के लिए राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त न होना बताया गया था।

---

[89] ***परिशिष्ट 3.2.1*** में तालिका के सरल क्रमांक 1, 3 और 6 के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा विलंब का आंकलन नहीं किया जा सका क्योंकि बार–बार माँग करने के बावजूद चयन/भर्ती शाखा द्वारा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

[90] मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मे 05 फरवरी 2016 को आयोजित गृह विभाग की समीक्षा बैठक में पुलिस विभाग में प्रत्येक वर्ष 6,000 नये पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

आगे बताया गया कि मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को प्रस्ताव भेजने में छः से 11 माह की देरी नहीं हुई क्योंकि संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से जानकारी एकत्रित की जा रही थी।

निम्नलिखित कारणों से विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है–

1) मध्य प्रदेश शासन ने सितंबर 2018 में पद सृजित किए और विधानसभा चुनाव 02.11.2018 (अधिसूचना का दिनांक) से 13.12.2018 की अवधि के दौरान और लोकसभा चुनाव 02.04.2019 (अधिसूचना का दिनांक) से 27.05.2019 की अवधि के दौरान आयोजित हुए थे। तथ्य यह है कि मौजूदा रिक्तियों और नव निर्मित पदों के विरुद्ध भर्ती चुनावों से पहले, मध्य में और बाद में नहीं की गई थी, जब आदर्श आचार संहिता लागू नहीं थी।

2) आरक्षण का पुनरीक्षण भी पदों के सृजन के 10 माह बाद हुआ।

3) सभी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी या तो पुलिस मुख्यालय भोपाल में हैं या पुलिस मुख्यालय के अधीन हैं, अतः अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने में विलंब न्यायसंगत नहीं है। आगे, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भेजे गए प्रस्तावों में लगातार बदलाव यह दर्शाता है कि विभिन्न संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा संधारित आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे।

4) लेखापरीक्षा में पाया गया कि विलंब केवल उन प्रकरणों में विभागीय अभिलेखों की जाँच पर ही आधारित था, जहाँ पर विभाग ने एक सामान्य उत्तर दिया है कि कोई देरी नहीं हुई एवं कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

5) पुलिस मुख्यालय ने स्वयं नए भर्ती नियमों को प्रस्तुत करने में दो से अधिक वर्षों की देरी की, इसलिए केवल मध्य प्रदेश शासन और अन्य बाह्य कारकों जैसे चुनाव, आदि के कारण विलंब बताना तर्कसंगत नहीं है। आगे, चूंकि मध्य प्रदेश शासन ने विभाग के प्रस्ताव को अस्वीकार (अक्टूबर 2020) कर दिया, विभाग को तद्समय रिक्त पदों की भर्ती के लिए मौजूदा भर्ती नियमों को जारी रखना चाहिए था।

विभाग ने पुलिस कर्मियों के लिए पहले से ही सृजित पदों पर भर्ती करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। यह मुख्यमंत्री के विशिष्ट आदेशों और पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य में अपराधों की अधिक संख्या के खराब ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद था।

3.2.3.2 योजना तथा संवर्ग नियंत्रक शाखाओं के बीच स्वीकृत पदों की संख्या में विसंगतियाँ

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता वाली पुलिस मुख्यालय की योजना शाखा, पुलिस विभाग में प्रत्येक संवर्ग के लिए स्वीकृत पदों के अभिलेखों को संधारित करने के लिए जिम्मेदार है। पुलिस मुख्यालय की विभिन्न संवर्ग नियंत्रक शाखाओं (प्रशासन, कार्मिक, विशेष शाखा, अपराध अन्वेषण विभाग, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो आदि) से सूचना (स्वीकृत पद, पदस्थ पद और रिक्त पद) एकत्रित करने एवं संकलन करने पर यह पाया गया कि योजना शाखा और संवर्ग नियंत्रक शाखाओं के अभिलेखों में स्वीकृत पदों की संख्या में अंतर था। अक्टूबर 2019 की स्थिति में अंतर का विवरण **तालिका 3.2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.3: स्वीकृत पदों में अंतर का विवरण

पदनाम	योजना शाखा के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या	संवर्ग नियंत्रण शाखाओं के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या	अंतर
निरीक्षक/कंपनी कमाण्डर/कार्यालय अधीक्षक/रिपोर्टर/रक्षित निरीक्षक/निरीक्षक (अन्य)	2,696	2,874	178
सूबेदार/लेखापरीक्षक/आशुलेखक/सहायक कार्यालय अधीक्षक/मुख्य लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक–1	1,391	1,444	53
उप निरीक्षक/ उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल)/ उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)	7,810	7,848	38
सहायक उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल)/सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)	13,926	13,794	132

स्रोतः पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मी और रिक्तियों से संबंधित अभिलेख पुलिस मुख्यालय में संधारित नहीं किया गया था। पुलिस मुख्यालय की चयन/भर्ती शाखा इन संवर्गों में रिक्तियों की स्थिति के लिए सीधे जिला कार्यालयों से माँग करती है और इन पदों के विरुद्ध भर्ती के लिए भर्ती एजेंसी को रिक्तियों का विवरण भेजती है।

पुलिस मुख्यालय की कार्मिक शाखा ने बताया (दिसंबर 2019) कि प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत कर्मी एवं रिक्तियों से संबंधित अभिलेख ईकाई स्तर पर संधारित किये जा रहे थे। स्वीकृत पदों में अंतर के संबंध में विभाग ने बताया (सितंबर 2020) कि विभिन्न संवर्ग नियंत्रक शाखाओं द्वारा प्रदाय किया गया स्वीकृत पदों का विवरण सही नहीं था और विभाग स्वीकृत पदों का एक डेटाबेस तैयार करेगा।

कार्मिक शाखा का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह शाखा पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों के रिक्तियों के आंकलन के लिए जिम्मेदार है। अतः, प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के स्वीकृत पदों, कार्यरत कर्मी एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्तियों के संबंध में जानकारी पुलिस मुख्यालय द्वारा संधारित की जानी चाहिए थी। इन विवरणों की अनुपलब्धता विभाग की कमजोर प्रबंधन सूचना प्रणाली को दर्शाती है। आगे, चयन/भर्ती शाखा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजने से पहले संवर्ग नियंत्रक शाखाओं से रिक्त पदों के विवरण मंगाती है और संवर्ग नियंत्रक शाखाएं चयन/भर्ती शाखा को रिक्ति की गलत स्थिति बता सकती हैं। परिणामस्वरूप, ऐसी संभावना है कि संवर्ग नियंत्रक शाखाओं में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना हो सकती है, यदि सभी रिक्त पदों को उनके प्रस्ताव के आधार पर भरा जाता है। यद्यपि विभाग ने बताया कि वह स्वीकृत पदों का डेटाबेस तैयार करेंगे, परंतु, वह पुलिस मुख्यालय में प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों सहित सभी पदों के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्तियों एवं कार्यरत कर्मियों के डेटाबेस तैयार करने एवं संधारित करने के संबध में मौन था।

3.2.3.3 जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कर्मचारियों की पदस्थापना में विसंगतियाँ

लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाँच चयनित जिलों[91] के 158 पुलिस थानों (पी.एस.) व 69 चौकियों में पुलिस कर्मियों की तैनाती में विसंगतियां पाई गई जिसकी चर्चा नीचे की गई है–

(i) पुलिस थानों/चौकियों और पुलिस लाइनों में कर्मचारियों की पदस्थापना

लेखापरीक्षा में पुलिस थानों और चौकियों में कर्मचारियों की सारभूत कमी देखी गई, जबकि पुलिस लाइनों को स्वीकृत से अधिक कर्मचारियों के साथ संचालित किया जा रहा था। पाँच चयनित जिलों के 158 पुलिस थानों और 69 चौकियों में 9,642 कर्मचारियों के स्वीकृत अमले के विरूद्ध 2,648 कर्मचारियों (27.46 प्रतिशत) की कमी थी। जबकि, इन पाँच चयनित जिलों की पुलिस लाइन में स्वीकृत अमले से 819 (37.67 प्रतिशत) अधिक कर्मचारी तैनात पाये गये। इन चयनित पाँच जिलों के पुलिस थानों/चौकियों में कर्मचारियों की जिलेवार कमी और पुलिस लाइनों में आधिक्य को **तालिका 3.2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.4: चौकियों सहित पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी और पुलिस लाइन में आधिक्य का जिलेवार विवरण

जिले का नाम	चौकियों सहित पुलिस थानों में कर्मचारियों का विवरण			पुलिस लाईन मे कर्मचारियों का विवरण		
	स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मी	कमी (–) (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मी	आधिक्य (+) (प्रतिशत)
बालाघाट	1,635	893	(–) 742 (45.38)	153	494	(+) 341 (222.88)
भिण्ड	1,104	657	(–) 447 (40.49)	356	362	(+) 06 (1.69)
ग्वालियर	2,199	1,860	(–) 339 (15.42)	487	529	(+) 42 (8.62)
इंदौर	3,674	2,735	(–) 939 (25.56)	899	1136	(+) 237 (26.36)
शिवपुरी	1,030	849	(–) 181 (17.57)	279	472	(+) 193 (69.18)
योग	**9,642**	**6,994**	**(–) 2,648 (27.46)**	**2,174**	**2,993**	**(+) 819 (37.67)**

स्रोतः पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

(ii) पुलिस थानों में कर्मचारियों की पदस्थापना

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच चयनित जिलों में 158 में से 155 पुलिस थानों में स्वीकृत अमले के अनुरूप कर्मचारी तैनात नहीं थे। 133 (84 प्रतिशत) पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी थी जबकि, 22 (14 प्रतिशत) पुलिस थानों में स्वीकृत अमले से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया गया था। शेष तीन पुलिस थानों में कर्मचारियों को स्वीकृत अमले के अनुसार तैनात किया गया था।

भिंड में 96 प्रतिशत (26 में से 25) पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी थी, इसके बाद बालाघाट में 95 प्रतिशत (21 में से 20) पुलिस थानों में, इंदौर में 84 प्रतिशत (45 में से 38) पुलिस थानों में, शिवपुरी में 79 प्रतिशत (28 में से 22) पुलिस थानों में एवं ग्वालियर में 74 प्रतिशत (38 में से 28) पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी थी। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि स्वीकृत अमले के विरुद्ध कर्मचारियों की उपलब्धता कम होने के बावजूद भिंड के एक (चार प्रतिशत) पुलिस थाना, ग्वालियर के नौ (24 प्रतिशत) पुलिस थानों, इन्दौर के सात (16 प्रतिशत) पुलिस थानों और शिवपुरी के पाँच (18 प्रतिशत) पुलिस थानों में स्वीकृत अमले के विरुद्ध अधिक कर्मचारियों को पदस्थ किया गया था।

---

[91] बालाघाट–21 पुलिस थाने और 27 चौकियाँ, भिण्ड–26 पुलिस थाने और 16 चौकियाँ, ग्वालियर–38 पुलिस थाने और 06 चौकियाँ, इंदौर–45 पुलिस थाने और 09 चौकियाँ, शिवपुरी–28 पुलिस थाने और 11 चौकियाँ।

पाँच चयनित जिलों के पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी/अधिकता का विवरण **तालिका 3.2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.5: पाँच चयनित जिलों के पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी/अधिकता का विवरण

जिले का नाम	पुलिस थानों की कुल संख्या	कर्मचारियों की कमी				आधिक्य कर्मचारी				पुलिस थानों की संख्या जहाँ कर्मचारियों की पदस्थापना स्वीकृत अमले के अनुसार की गई
		पुलिस थानों की संख्या	स्वीकृत अमला	कार्यरत कर्मी	कमी (प्रतिशत)	पुलिस थानों की संख्या	स्वीकृत अमला	कार्यरत कर्मी	आधिक्य (प्रतिशत)	
बालाघाट	21	20	1,023	660	363 *(35)*	0	0	0	0	1
भिण्ड	26	25	898	603	295 *(33)*	1	37	39	2 *(5)*	0
ग्वालियर	38	28	1,670	1,232	438 *(26)*	9	410	509	99 *(24)*	1
इंदौर	45	38	3,244	2,307	937 *(29)*	7	300	371	71 *(24)*	0
शिवपुरी	28	22	662	540	122 *(18)*	5	154	174	20 *(13)*	1
योग	**158**	**133**	**7,497**	**5,342**	**2,155 *(29)***	**22**	**901**	**1,093**	**192 *(21)***	**3**

स्रोतः पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

कर्मचारियों का संवर्गवार विश्लेषण और पुलिस थानों मे कर्मचारियों की जिलेवार पदस्थापना ***परिशिष्ट 3.2.2*** में दर्शायी गयी है।

(iii) कर्मचारियों की तैनाती न होने के कारण चौकियों का परिचालन न होना

कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराध पर नियंत्रण रखने, ग्रामीण इलाकों में और संकट के दौरान कम से कम समय में लोगों तक पुलिस की मदद पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए चौकियां स्थापित की जाती हैं। लेखापरीक्षा में देखा गया कि दो चयनित जिलों (बालाघाट–10 और भिंड–12) में कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं होने के कारण 69 में से 22 चौकियाँ (32 प्रतिशत) संचालित नहीं थी, जबकि, शेष तीन चयनित जिलों में, चौकियाँ संचालित थी, परंतु दो जिलों (इंदौर और शिवपुरी) में दो से 17 (18 से 61 प्रतिशत) कर्मचारियों की कमी थी। जिलेवार बंद चौकियों का विवरण ***परिशिष्ट 3.2.3*** में दर्शाया गया है।

यह स्वीकार करते हुए कि कर्मचारियों को पुलिस थानों/चौकियों में स्वीकृत अमला के अनुसार तैनात नहीं किया जा सका, विभाग ने बताया (नवंबर 2020) कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और प्रशासनिक कारणों से, पुलिस बल को पुलिस थानों/चौकियों से पुलिस लाइनों में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जा रहा था। विभाग द्वारा आगे बताया गया कि भर्ती न होने और पदोन्नति पर प्रतिबंध के कारण, पुलिस बल की कमी थी और भविष्य में पुलिस थानों/चौकियों में स्वीकृत अमले के अनुसार पुलिस बल पदस्थ करने का आश्वासन दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुलिस थानों का संचालन स्वीकृत अमले से अधिक कर्मचारियों से नहीं किया जाना चाहिए और पुलिस लाइनों में अधिक प्रतिशत में कर्मचारियों को रखे जाने एवं पुलिस थानों में कम कर्मचारियों की पदस्थापना के औचित्य/विश्लेषण की आवश्यकता है। आगे, चौकियों के

परिचालित नहीं होने की स्थिति में कानून और व्यवस्था बिगड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(iv) पुलिस थानों में कर्मचारियों की पदस्थापना के साथ अपराध दर की मैपिंग

चयनित पाँच जिलों में से चार जिलों (बालाघाट जिले को नक्सल प्रभावित होने के कारण छोड़ा गया) के पुलिस थानों में वर्ष 2018 के लिए दर्ज अपराध की मैपिंग करने पर लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रति पुलिस थाना औसत अपराध दर (कैलेंडर वर्ष 2018 में भारतीय दण्ड संहिता अपराध) इंदौर में उच्चतम (584) और शिवपुरी में निम्नतम (160) थी। शेष दो जिलों यथा ग्वालियर और भिंड में यह क्रमशः 308 और 190 थी। संबंधित जानकारी (जून 2019 की स्थिति में जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई कर्मचारी की पदस्थापना का विवरण) का आगे विश्लेषण करने पर लेखापरीक्षा ने देखा कि 137 में से 12 पुलिस थानों में, जहां भारतीय दण्ड संहिता अपराधों की उच्च संख्या (358 से 955 तक) दर्ज की गई थी, वहां स्वीकृत अमले के विरूद्ध कम संख्या (55 से 74 प्रतिशत तक) में कर्मचारियों को पदस्थ किया गया था, जबकि तुलनात्मक रूप से भारतीय दण्ड संहिता अपराधों की कम दर (47 से 443 तक) 11 पुलिस थानों में दर्ज हुई थी, वहाँ स्वीकृत अमले से अधिक (102 से 203 प्रतिशत) कर्मचारियों की पदस्थापना की गई थी, जैसा कि **तालिका 3.2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.6: कर्मचारी की तैनाती बनाम अपराध दर

इकाई का नाम	पुलिस थानों में कर्मचारी की उपलब्धता जहाँ अधिक संख्या मे अपराध दर्ज किये गये			पुलिस थानों में कर्मचारी की उपलब्धता जहाँ कम संख्या मे अपराध दर्ज किये गये		
	पुलिस थाना का नाम	2018 में भारतीय दंड संहिता अपराध	स्वीकृत अमले के विरूद्ध कर्मचारी की उपलब्धता का प्रतिशत	पुलिस थाना का नाम	2018 में भारतीय दंड संहिता अपराध	स्वीकृत अमले के विरूद्ध कर्मचारी की उपलब्धता का प्रतिशत
पुलिस अधीक्षक, इंदौर	एम.आई.जी.	955	68.22	तिलक नगर	394	116.22
	कनाडिया	591	64.63	क्षिप्रा	443	160.00
	तुकोगंज	689	69.16	–	–	–
	संयोगितागंज	554	55.80	–	–	–
	आजाद नगर	547	59.76	–	–	–
	परदेशीपुरा					
पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी	–	–	–	पुरानी शिवपुरी	202	101.96
	–	–	–	गोवर्धन	47	120.00
	–	–	–	दिनारा	146	125.00
पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर	माधोगंज	406	68.69	उटीला	50	105.00
	इंदरगंज	463	72.04	गिजौर्रा	133	130.00
	यूनिवर्सिटी	481	54.93	बिजौली	162	120.83
	ग्वालियर	527	56.36	बिलउआ	178	128.57
	डबरा	695	72.41	गिरवई	190	203.33
पुलिस अधीक्षक, भिण्ड	मेंहगांव	358	66.00	उमरी	291	105.41

स्रोतः पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

स्पष्ट रूप से, जहां पर्याप्त पुलिस कर्मी हैं, वहां अपराध दर तुलनात्मक रूप से कम है। पुलिस थानों में दर्ज अपराधों की संख्या और उन पुलिस थानों में तैनात कर्मचारियों का विवरण ***परिशिष्ट 3.2.4*** में दर्शाया गया है।

3.2.3.4 निर्धारित मानदंडों के अनुसार पुलिस थानों में स्वीकृत अमला की कमी

गृह (पुलिस) विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने शहरी, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एक पुलिस थाने में विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक पुलिस बल की न्यूनतम संख्या के लिए मानदंडों के निर्धारण के संबंध में एक आदेश जारी (नवंबर 2010) किया। विवरण **तालिका 3.2.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.7: एक पुलिस थाने में पुलिस बल की आवश्यक संख्या का विवरण

सरल क्रमांक	पुलिस थाने की अवस्थिति	न्यूनतम आवश्यक पुलिस बल	अपराधों की संख्या	जनसंख्या
1.	शहरी	75	300	50,000
2.	नगर पंचायत	50	200	50,000
3.	ग्रामीण	35	200	40,000
4.	ग्रामीण (नक्सलाइट)	45	—	—

यदि पुलिस थाने के अर्न्तगत जनसंख्या 15,000 से बढ़ जाती है, तो शहरी क्षेत्रों, नगर पंचायत और ग्रामीण पुलिस थानों में पुलिस बल के क्रमशः छः, चार और चार अतिरिक्त पद स्वीकृत किए जाएंगे। इसी प्रकार, भारतीय दंड संहिता के 100 मामलों की वृद्धि होने पर शहरी, नगर पंचायत और ग्रामीण पुलिस थानों में पुलिस बल के क्रमशः छः, पाँच और चार अतिरिक्त पद स्वीकृत किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश राज्य में 1,093 पुलिस थाने (नक्सली क्षेत्र को छोड़कर) थे और लेखापरीक्षा ने देखा कि इन थानों में शासन द्वारा निर्धारित मानदंडों की तुलना में 5,907 स्वीकृत पदों की कमी थी। जून 2019 की स्थिति में स्वीकृत पदों की कमी का विवरण **तालिका 3.2.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.8: जून 2019 की स्थिति में पुलिस थानों में स्वीकृत पदों की कमी का विवरण

पुलिस थानों की अवस्थिति	पुलिस थानों की संख्या	मानदंडो के अनुसार स्वीकृत पदों की आवश्यकता	स्वीकृत पदों की संख्या	स्वीकृत पदों में कमी (प्रतिशत)
शहरी	426	31,950	29,831	2,119 (6.63)
नगर पंचायत	222	11,100	9,407	1,693 (15.25)
ग्रामीण	445	15,575	13,480	2,095 (13.45)
योग	**1,093**	**58,625**	**52,718**	**5,907 (10.07)**

स्रोतः पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

पाँच चयनित जिलों में, लेखापरीक्षा ने 158 पुलिस थानों (10 नक्सल प्रभावित पुलिस थानों सहित) में से 148 पुलिस थानों में राज्य शासन द्वारा तय मानदंडों के अनुसार स्वीकृत पदों की कमी को देखा। दस नक्सल प्रभावित पुलिस थानों में स्वीकृत पदों में कोई कमी नहीं थी।

पाँच चयनित जिलों के पुलिस थानों में स्वीकृत पदों की कमी का जिलेवार विवरण **चार्ट 3.2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2.3: पाँच चयनित जिलों के पुलिस थानों मे स्वीकृत पदों में कमी का जिलावार विवरण

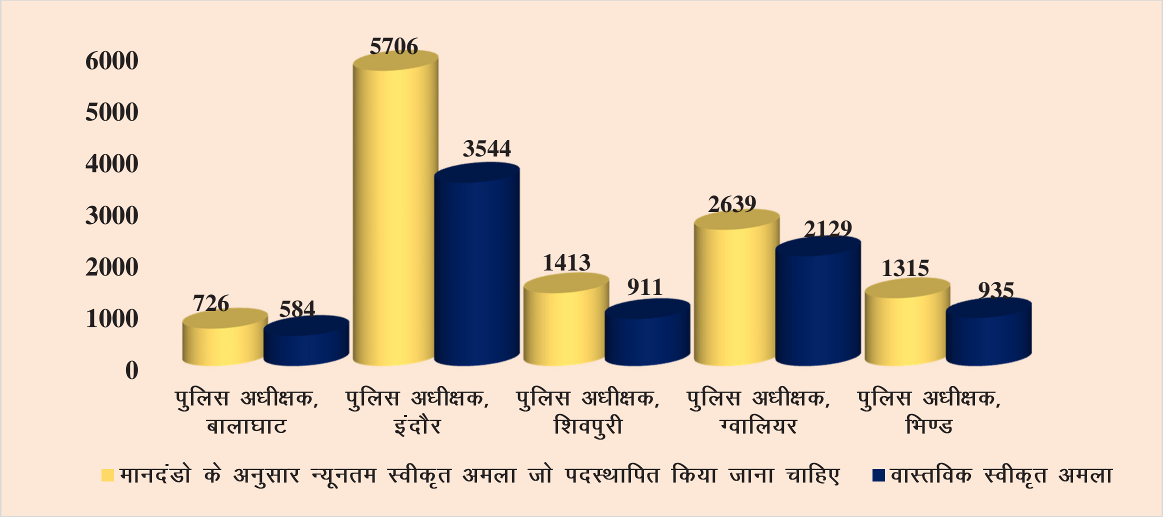

स्वीकृत पदों की कमी में उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के पद शामिल थे। पुलिस थानों में यथा अपेक्षित स्वीकृत पदों की कमी पुलिस के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिसमें अपराध की रोकथाम और पता लगाना, नियमित गश्त द्वारा पहरा और निगरानी, अदालत द्वारा जारी सम्मनों की तामीली, शहरों में यातायात पर नियंत्रण आदि शामिल है।

विभाग ने बताया (सितंबर 2020) कि विभिन्न संवर्गों में 12,324 नए पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया (जुलाई 2020) है, जिसमें पुलिस थानों के लिए 6,472 पद सृजित करने का प्रस्ताव शामिल है।

3.2.3.5 अति विशिष्ट व्यक्तियों (व्ही.आई.पी.) को प्रदाय सुरक्षा

अधिसूचना संख्या 322 (जून 2003) द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश पुलिस विनियमों के संशोधित नियम 494 (घ) के अनुसार जिला कार्यालय के पुलिस अधीक्षक स्थानीय स्तर पर किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को शुल्क या बिना शुल्क के तीन महीने के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। बनाई गई व्यवस्था के अनुमोदन के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (इंटेलिजेंस)/उप पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) को एक प्रतिवेदन भेजा जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदान की गई सुविधा को अनुमोदित करने या अस्वीकार करने के लिए सक्षम होंगे। यदि तीन माह के भीतर अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, तो पुलिस अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि सुरक्षा प्रदान करने वाले अपने पूर्व आदेश को निरस्त कर दें। यदि सुरक्षा को जारी रखना है तो पुलिस अधीक्षक को राज्य सुरक्षा समिति[92] से अनुमोदन लेना होगा।

---

[92] अध्यक्ष के रूप में गृहमंत्री, सदस्यों के रूप में प्रमुख सचिव (गृह विभाग), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (इंटेलीजेंस), संयुक्त निदेशक (विशेष खुफिया शाखा) एवं सदस्य सचिव के रूप मे उप पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) को सम्मिलित करते हुए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि चयनित पाँच जिलों में 85 अति विशिष्ट व्यक्ति थे जिन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी, जैसा कि **तालिका 3.2.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.9: अति विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान की गई सुरक्षा का विवरण

कार्यालय का नाम	व्यक्तियों की संख्या जिनको सुरक्षा प्रदाय की गयी	व्यक्तियों की संख्या जिनको पुलिस अधीक्षक के मौखिक आदेशानुसार सुरक्षा प्रदाय की गयी	व्यक्तियों की संख्या जिनको सुरक्षा पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन के बिना जारी रखी गयी	सशुल्क सुरक्षा प्रदाय व्यक्तियों की संख्या	निःशुल्क सुरक्षा प्रदाय व्यक्तियों की संख्या	टिप्पणी
पुलिस अधीक्षक, भिण्ड	26	12	02	—	26	—
पुलिस, अधीक्षक, ग्वालियर	27	14	26	03	24	—
पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी	08	07	—	—	08	—
पुलिस अधीक्षक, बालाघाट	14	11	11	—	14	चार प्रकरणों में, सुरक्षा जारी रखने के लिए पुलिस मुख्यालय को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा गया। सात प्रकरणों में, पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव नहीं भेजा गया और शेष तीन प्रकरणों मे पुलिस मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया गया।
पुलिस अधीक्षक, इंदौर	10	05	04	—	10	पाँच प्रकरणों में, प्रस्ताव के अनुमोदन न होने के कारण प्रदाय सुरक्षा वापस ली गई। शेष पाँच प्रकरणों में पुलिस मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया गया।
योग	**85**	**49**	**43**	**03**	**82**	

स्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

पुलिस सुरक्षा प्राप्त करने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों में मंत्री/सांसद/विधायक/जिले के पूर्व विधायक, धार्मिक संस्था के प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद/विधायक उम्मीदवार, जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति, जिला और सत्र न्यायाधीश, आर.टी.आई. कार्यकर्ता, महिला आयोग की सदस्य, एक समाचार पत्र के संपादक और अन्य व्यक्ति शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बालाघाट में 11 में से चार मामलों के संबंध में सुरक्षा निरंतर रखने हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजे गए थे लेकिन किसी भी मामले में अनुमोदन नहीं मिला था और फिर भी उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना जारी रखा गया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 85 में से 33 (39 प्रतिशत) मामलों में, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक ने गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य सुरक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बजाय अनौपचारिक रूप से तीन महीने से परे (निरंतरता में अधिकतम 77 महीने तक) सुरक्षा उपलब्ध कराई।

विभाग ने बताया (नवंबर 2020) कि एक परिपत्र (24 अक्टूबर 2020) के द्वारा समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को जिला स्तर पर प्रदायित पुलिस सुरक्षा की समीक्षा करने तथा गैर–जरूरी सुरक्षा को बंद करने और अति विशिष्ट व्यक्तियों/निजी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में राजपत्र अधिसूचना (24 जून 2003) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश जारी किये गये।

3.2.3.6 पुलिस प्रशिक्षण शाला (पी.टी.एस.) भौरी, भोपाल संचालित न होना

विभाग ने ₹36.11 करोड़ की लागत से 864 आरक्षक प्रशिक्षुओं को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पी.टी.एस., भौरी की स्थापना (मार्च 2017) की थी। विभाग ने पुलिस प्रशिक्षण शाला, भौरी के लिए 161 पदों[93] का सृजन करने का प्रस्ताव (अगस्त 2017) दिया था। हालाँकि, मध्य प्रदेश शासन ने केवल 74 पद स्वीकृत (सितंबर 2018) किए। मार्च 2020 की स्थिति में 74 स्वीकृत पदों में से केवल पाँच पद पुलिस प्रशिक्षण शाला का नेतृत्व करने के लिए एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी सहित भरे गये थे। प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के कारण पुलिस प्रशिक्षण शाला, भौरी का उपयोग आरक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मार्च 2020 तक नहीं किया जा सका और अब तक ₹36.11 करोड़ का संपूर्ण व्यय अनुपयोगी रहा।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2019) कि राज्य शासन ने केवल 74 पद स्वीकृत किए, जिसके साथ पुलिस प्रशिक्षण शाला संचालित किया जाना संभव नहीं था। वर्ष 2017 के बाद आरक्षकों की भर्ती न होने और केवल पाँच कर्मचारियों की उपलब्धता के कारण आरक्षकों का प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण शाला में आरंभ नहीं किया जा सका और पुलिस प्रशिक्षण शाला के उपलब्ध कर्मचारियों की सेवाओं और संसाधनों का उपयोग पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जा रहा है। विभाग ने आगे बताया (नवंबर 2020) कि भोपाल, राजगढ़, सीहोर और विदिशा जिलों में पदस्थ अधिकारियों के लिए इन–सर्विस और वर्टिकल इंटरैक्शन पाठयक्रम चलाए जा रहे थे। अगस्त 2020 से सहायक उपनिरीक्षक (एम) को बुनियादी प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया जा रहा था। आरक्षकों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण कोविड–19 महामारी की स्थिति के सामान्य होने के बाद आरंभ किया जाएगा। हालांकि, पुलिस प्रशिक्षण शाला, भौरी में पाठ्यक्रम चलाने के उत्तर के समर्थन में विभाग द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

विभाग को पर्याप्त मानवशक्ति के बिना पुलिस प्रशिक्षण शाला के निर्माण से बचने के लिए अकादमी के निर्माण के प्रस्ताव के साथ मानवशक्ति के लिए स्वीकृति माँगनी चाहिए थी।

---

[93] पुलिस अधीक्षक–01, उप पुलिस अधीक्षक–02, निरीक्षक/रक्षित निरीक्षक/निरीक्षक (एस.ए.एफ.)–10, सूबेदार/उप निरीक्षक/उप निरीक्षक (एस.ए.एफ.)/उप निरीक्षक (रेडियो)/उप निरीक्षक (आर्म्स)/उप निरीक्षक (एम.टी.)–12, सहा. उप निरीक्षक/सहा. उप निरीक्षक (एस.ए.एफ.)/सहा. उप निरीक्षक (एम.टी.)–08, प्रधान आरक्षक/प्रधान आरक्षक (एस.ए.एफ.)/प्रधान आरक्षक (रेडियो)/प्रधान आरक्षक (आर्मरर)/प्रधान आरक्षक (एम.टी)–44, आरक्षक/आरक्षक (ट्रेड)/आरक्षक (रेडियो)/ आरक्षक (आर्मरर)/ आरक्षक (चालक)–63, चिकित्सक–01, मेल नर्स/कम्पाउण्डर/ड्रेसर–03, अनुसचिवीय कर्मचारी–09, सहा. लाइब्रेरियन–02, वरि. वैज्ञानिक अधिकारी–02, ए.डी.पी.ओ.–02, बिगुलर–02

3.2.3.7 रिक्त पदों के कारण पुलिस अस्पताल, शिवपुरी का परिचालन न होना

लेखापरीक्षा ने देखा कि पुलिस अस्पताल, शिवपुरी में चिकित्सक और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ के पद रिक्त पड़े थे और अस्पताल में केवल सफाईवाला पदस्थ था। इस प्रकार, मार्च 2018 से अस्पताल परिचालन में नहीं था। जुलाई 2019 की स्थिति में अस्पताल में रिक्त पदों का विवरण **तालिका 3.2.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.10: अस्पताल में रिक्त पदों का विवरण

सरल क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मी	रिक्त	दिनांक जब से पद रिक्त था
1.	सहायक सर्जन	01	00	01	01.03.2018
2.	कम्पाउण्डर	01	00	01	01.03.2018
3.	मेल नर्स	02	00	02	01.09.2003 / 01.07.2006
4.	चिकित्सा सहायक	01	00	01	01.01.2011
5.	रसोईया	01	00	01	01.11.2017
6.	जलवाहक	01	00	01	01.07.2009
7.	सफाईवाला	01	01	00	रिक्त नहीं
योग		**08**	**01**	**07**	

स्रोत: जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, शिवपुरी द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि अस्पताल में दवाईयों के क्रय, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था, विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रयोगशाला के विकास के लिए वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान प्राप्त राशि ₹2.59 लाख, कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण कार्यालय द्वारा उपयोग नहीं की जा सकी।

विभाग ने बताया (जनवरी 2020) कि रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती के मामले के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के साथ अनुकरण किया रहा है।

3.2.4 निष्कर्ष

गृह (पुलिस) विभाग का कार्य कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक शांति बनाए रखना, नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को सुरक्षित बनाए रखना और अपराधों की रोकथाम और पता लगाना है। इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए, मानवशक्ति की आवश्यकताओं और उनके कुशल, प्रभावी और विवेकपूर्ण उपयोग को निर्धारित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता है। विभाग विभिन्न संवर्गों में 26,536 (20.68 प्रतिशत) रिक्तियों के साथ संघर्षरत रहा, लेकिन इसने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भर्ती के लिए माँग प्रेषित करने में विलम्ब किया। कुछ थानों को छोड़कर, अधिकांश थाने मानवशक्ति की कमी के कारण अशक्त थे जबकि, पुलिस लाइनों में स्वीकृत मानवशक्ति से 37.67 प्रतिशत अधिक कर्मचारी थे। अपराध दर और मानवशक्ति की तैनाती के बीच सह–संबंध ने पुष्टि की कि अपराध उन क्षेत्रों में कम किए गए जहाँ पुलिस की उपस्थिति अधिक थी और पुलिस की तैनाती में कमी के कारण उन क्षेत्रों में अपराध दर में वृद्धि प्रदर्शित हुई। पुलिस प्रशिक्षण शाला, भौरी, भोपाल और पुलिस अस्पताल, शिवपुरी पद रिक्त होने के कारण संचालित नहीं हो सके। विभाग, अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षा गार्डों के प्रावधान को विनियमित करने और गैर–आवश्यक सुरक्षा को बंद करने में भी विफल रहा, जिससे पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबे पुलिस बल पर और दबाव पड़ा।

3.2.5 अनुशंसाएं

(i) मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय को सभी संवर्गों को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों को डिजिटल मोड में विश्वसनीय डेटा संधारण करने और डेटा को समय–समय पर अद्यतन करने का निर्देश देना चाहिए। प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए प्रत्येक स्तर पर अभिलेखों का पर्याप्त प्रलेखन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आगे, मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय को भर्ती में विलंब के कारणों की समीक्षा और पहचान करनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के साथ समन्वय से आवश्यक मानवशक्ति की भर्ती के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

(ii) पुलिस मुख्यालय में सक्षम अधिकारियों और संबंधित जोनों के पुलिस महानिरीक्षक को मानवशक्ति की तैनाती को तर्कसंगत बनाने के लिए संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के परामर्श से पुलिस कर्मियों की तैनाती की समीक्षा करनी चाहिए।

विभाग ने अनुशंसा को स्वीकार किया और संबंधित पुलिस जोनों के पुलिस महानिरीक्षकों को आवश्यक निर्देश (नवंबर 2020) जारी किए।

(iii) शासन जल्द से जल्द गृह मंत्रालय, भारत सरकार/मध्य प्रदेश शासन के मानकों के अनुसार उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक आदि के नए पदों को स्वीकृत करने पर विचार करे।

(iv) विभाग को अति विशिष्ट व्यक्तियों/निजी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने में राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। आगे, विभाग को शुल्क या बिना शुल्क, आदि के साथ सुरक्षा प्रदान करने जैसे आंकलनों को पुलिस अधीक्षकों के विवेक पर छोड़ने के स्थान पर पुलिस अधीक्षकों से इनपुट प्राप्त कर पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस संबंध में औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए।

(v) राज्य शासन को पुलिस प्रशिक्षण शाला, भौरी, भोपाल और पुलिस अस्पताल, शिवपुरी के निर्विघ्न संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में पदों को स्वीकृत करना चाहिए, ताकि बिना विलंब के इन परिसम्पतियों का उपयोग सुनिश्चित हो सके।

गृह विभाग

3.3 निष्फल व्यय

जल आपूर्ति हेतु नगर पालिक निगम, रीवा से अनुमति प्राप्त किये बिना ओवरहेड टैंक का निर्माण किये जाने के परिणामस्वरूप ₹60.18 लाख का निष्फल व्यय हुआ तथा ₹27. 64 लाख की राशि अवरूद्ध रही।

पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल ने सेनानी, 9वीं वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल (एस.ए.एफ.), रीवा को वाहिनी के रहवासियों को पेय जल उपलब्ध कराने हेतु ओवरहेड टैंक का निर्माण तथा पाइपलाइन बिछाने के लिये राशि ₹87.82 लाख आवंटित (24 फरवरी, 2012) की। सेनानी ने ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य लोक स्वास्थ्य यात्रिकी (पी.एच.ई.) विभाग को एक डिपॉजिट कार्य के रूप में सौंप दिया।

सेनानी कार्यालय में ओवरहेड टैंक के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2018) से पाया गया कि चिरहुला टैंक राइजिंग मैन को जल स्रोत माना गया था। कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड, रीवा ने सेनानी को जून 2012 में सचेत किया था कि चिरहुला टैंक राइजिंग मेन को जल स्रोत माना गया है और यदि भविष्य में नगर पालिक निगम (एम.सी.) द्वारा जल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उप खण्ड, रीवा ने भी स्पष्ट रूप से सेनानी को सूचित (जुलाई 2012) किया था कि चिरहुला राइजिंग मेन से जल उपलब्ध कराना सम्भव नहीं था। तथापि, इन सलाहों पर ध्यान न देते हुये सेनानी ने ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य जारी रखा।

ओवरहेड टैंक (2.5 लाख लीटर) का निर्माण, वितरण प्रणाली तथा राइजिंग मेन[94] से टैंक तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य ₹60.18 लाख के व्यय पर जनवरी 2015 में पूर्ण किया गया था। शेष राशि ₹27.64 लाख लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पास अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय उपखण्ड, रीवा ने आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा से जल आपूर्ति हेतु चिरहुला टैंक राइजिंग मेन पाइप लाइन से ओवरहेड टैंक को जोड़ने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया (जनवरी 2015)। नगर पालिक निगम ने इस आधार पर अनुमति देने से इंकार किया (फरवरी 2015) कि यदि वाहिनी परिसर में निर्मित ओवरहेड टैंक को राइजिंग मेन पाइप से जोड़ा जाता है तो शहर की जल आपूर्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सेनानी द्वारा बार–बार अनुरोध किये जाने (जनवरी 2016, जुलाई 2018 से अक्टूबर 2018) के बावजूद भी, नगर पालिक निगम द्वारा राइजिंग मेन लाइन से ओवरहेड टैंक को जोड़ने की अनुमति प्रदान नहीं की गई।

निर्माण कार्य अनुबंध के उपखंड 5.6 के अन्तर्गत वांछित भारतीय मानक (आई.एस. 3370 भाग एक, कंडिका 12) के अनुसार, ओवरहेड टैंक को निर्माण के तत्काल पश्चात सात दिन तक जल से भरकर उसका परीक्षण नहीं किया जा सका। ओवरहेड टैंक निर्माण कार्य पूर्ण होने के दिनांक से ही अप्रयुक्त रहा तथा जल से न भरे जाने एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण इसकी गुणवत्ता में अवक्षय की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

---

94 राइजिंग मेनः पाइप जिसके माध्यम से एक इंजन से जल एक उन्नत जल संग्राहक तक पहुँचाया जाता है अथवा स्रोतों से विभिन्न उपयोगों एवं आवश्यकताओं हेतु जल आपूर्ति की जाती है।

इस प्रकार, दोषपूर्ण योजना के परिणामस्वरूप ₹60.18 लाख का निष्फल व्यय हुआ तथा ₹27.64 लाख की राशि अवरूद्ध रही जिसके कारण उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई जिसके लिये राशि व्यय की गई थी। चूंकि तत्कालीन सेनानी जल स्रोत की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना ओवरहेड टैंक का निर्माण करने तथा राशि को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्तर पर अवरूद्ध करने के लिये उत्तरदायी थे, अतः विभाग को उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिये।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में, गृह (पुलिस) विभाग ने बताया (जून 2020) कि वाहिनी परिसर में पेयजल की भीषण समस्या होने के कारण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ओवरहेड टैंक के निर्माण तथा पाइप लाइन बिछाने हेतु कार्य आदेश जारी किया गया था। आवासीय कॉलोनी तक जल वितरण में विलंब हुआ था क्योंकि नगर पालिक निगम से पाइप लाइन बिछाने की अनुमति लंबित थी जिसे प्राप्त करने हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी। आगे, यह भी बताया गया कि सेनानी, 9 वीं वाहिनी को व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नगर पालिक निगम द्वारा वाहिनी के निवासियों को सम्पवेल के माध्यम से तथा क्वार्टरों में व्यक्तिगत जल कनेक्शनों द्वारा जल की आपूर्ति की जा रही थी और वाहिनी में जल की कोई कमी नहीं थी। तथ्य यह है कि ₹60.18 लाख की लागत से जनवरी 2015 में निर्मित ओवरहेड टैंक आज दिनांक तक अप्रयुक्त पड़ा हुआ है तथा सम्पूर्ण व्यय निष्फल सिद्ध हुआ है। समय व्यतीत होने एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण इसमें संभावित क्षरण होने के परिणामस्वरूप भविष्य में भी ओवरहेड टैंक का उपयोग किये जाने की सम्भावना क्षीण प्रतीत होती है।

जनजातीय कार्य विभाग

3.4 संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर और उप कोषालय, जोबट, अलीराजपुर के कर्मचारियों द्वारा ₹16.43 करोड़ का कपटपूर्ण आहरण

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (एम.पी.टी.सी.) के नियम 193 के अनुसार, प्रत्येक प्रमाणक के साथ उत्तरदायी संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या आद्याक्षरित एक भुगतान आदेश अवश्य होना चाहिए। पारित देयकों के संवितरण करने हेतु प्राधिकृत रोकड़िये एवं अन्य कर्मियों को उत्तरदायी वितरण अधिकारी के भुगतान आदेश के बिना कोई भुगतान नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता का नियम 198 निर्दिष्ट करता है कि किसी भी अधिभार की जिम्मेदारी प्रारंभिक तौर पर देयक को आहरण करने वाले की होगी, और केवल नियंत्रण अधिकारी अथवा कोषालय अधिकारी की उपेक्षा की दशा में ही इनमें से किसी एक से वसूली के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने निर्देश (नवम्बर 2003) जारी किए कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) से देयक प्राप्त होने पर, कोषालय शीर्ष के वर्गीकरण, देयक राशि की गणना, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर, और सभी आवश्यक स्वीकृतियां एवं प्राधिकार उपलब्ध हैं की जाँच करेगा। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने इस आशय के निर्देश (फरवरी 2009) जारी किए कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए बैंक खाते फरवरी 2009 तक बन्द कर दिए जाने चाहिए और शेष राशि शासकीय खाते में जमा कर दी जानी चाहिए। निर्देश आगे उपबंधित करता है कि जहाँ कहीं भी निधियों की आवश्यकता थी, वित्त विभाग की अनुमति से व्यक्तिगत जमा खाते खोले जा सकते है।

कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.), उदयगढ़, अलीराजपुर के अक्टूबर 2011 से जून 2017 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अगस्त 2018) में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शासकीय खजाने से ₹16.43 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण और तत्पश्चात इसके कर्मचारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में और वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए चार अन्य अनाधिकृत बैंक खातों में जमा किए जाने का पता चला।

लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत हैं –

(i) अनाधिकृत बैंक खाते खोलना

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी पूर्वोक्त निर्देशों (फरवरी 2009) का उल्लंघन कर चार बैंक खाते खोले गए। इस संबंध में विवरण नीचे **तालिका–3.4.1** में दिया गया है –

तालिका–3.4.1

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	खातों का विवरण	खाता धारक	बैंक खातों के संचालन की अवधि	बैंक खाते में जमा राशि	शामिल प्रमाणकों/ देयकों की संख्या	नकदी के रूप में निकाली गई और व्यक्तिगत बैंक खातों में अंतरित राशि
1.	खाता संख्या 11940100002370; बैंक ऑफ बड़ौदा; BARB0UDAIGA; विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी; उदयगढ़	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	दिसम्बर 2000 में खोला गया और जून 2017 में बंद किया गया	5.05	182	0.39
2.	खाता संख्या 11940100000788; बैंक ऑफ बड़ौदा; BARB0UDAIGA; केन्द्राध्यक्ष वेतन केन्द्र; कुण्डलवासा	श्री हेतराम राजपूत	नवम्बर 2006 में खोला गया, दो वर्षों से निष्क्रिय, खाते में शून्य शेष	1.29	101	0.03
3.	खाता संख्या 32230143507; स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया; SBIN0030048 ; केन्द्राध्यक्ष वेतन केन्द्र, उदयगढ़; जोबट, अलीराजपुर	श्री हेतराम राजपूत	मार्च 2012 में खोला गया और सितम्बर 2016 में बंद किया गया	8.00	473	3.45
4.	खाता संख्या 32567384007; स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया; SBIN0030048; केन्द्राध्यक्ष वेतन केन्द्र, कुण्डलवासा; जोबट, अलीराजपुर	ज्ञात नही	सितम्बर 2012 में खोला गया और मार्च 2014 में बंद किया गया	1.45	111	0.31
योग				**15.79**	**867**	**4.18**

आगे, इन चार में से दो खाते सहायक शिक्षक[95] के नाम से खोले गये थे जिनमें से एक (स.क्र. 3 पर) तत्कालीन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के मौखिक आदेश पर खोला गया था। सहायक

[95] श्री हेतराम राजपूत

ग्रेड–3[96] का मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, जोबट, अलीराजपुर के बैंक खाते के साथ पंजीकृत था। दो[97] बैंक खातों में इंटरनेट बैंकिंग थी, यद्यपि विभाग ने ऐसे बैंक खातों में इंटरनेट बैंकिंग की अनुमति नहीं दी थी।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर की अक्टूबर 2011 से जून 2017 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2018) से प्रदर्शित हुआ कि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने मार्च 2012 से जून 2017 की अवधि के दौरान 3,824 देयकों के माध्यम से ₹98.48 करोड़ की राशि आहरित की। इस राशि में से, 867 देयकों से ₹15.79 करोड़ आहरण कर, चार अनाधिकृत बैंक खातों में जमा किए गए थे। कपटपूर्ण आहरण करने के लिए अपनायी गयी कार्य प्रणाली निम्नानुसार थी:

i. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने 57 देयकों, जो शिक्षकों के वेतन, मजदूरी इत्यादि से संबंधित थी की वास्तविक राशि (₹6.14 करोड़) को बढ़ाकर ₹7.02 करोड़ आहरित किए। ₹88.55 लाख के अन्तर में से ₹84.80 लाख की राशि केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते में अंतरित की गयी थी जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4.1*** में विस्तृत है।

ii. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने, सात अवसरों पर, राशि आहरण के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु लाभों से संबंधित समान दावे दो बार उप–कोषालय, जोबट, अलीराजपुर में प्रस्तुत किया। इस प्रकार से, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने ₹21.64 लाख दो बैंक खातों में (चार प्रकरणों से संबंधित ₹12.63 लाख केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते में और तीन प्रकरणों से संबंधित ₹9.01 लाख विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते में) कपटपूर्वक अंतरित किए जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4.2*** में विस्तृत है।

iii. एक मृत कर्मचारी स्वर्गीय श्री मदन सिंह अजनार, सहायक शिक्षक के अवकाश नकदीकरण का देयक 240 दिनों (₹3,70,720) के लिए तैयार किया गया, यद्यपि वास्तव में यह केवल 174 दिनों के लिए स्वीकृत था। 174 दिनों (₹2,68,772) के लिए अवकाश नकदीकरण की राशि का भुगतान उसकी पत्नी श्रीमती मांगीबाई अजनार को किया गया। 66 दिनों के लिए अवकाश नकदीकरण की शेष राशि ₹1,01,948 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के खाते में जमा की गई।

iv. अतिथि शिक्षकों के मानदेय के भुगतान के लिए समान माह और समान शिक्षकों के लिए तीन देयक दो बार प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार, अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए ₹44.25 लाख कपटपूर्वक आहरित किए गए और दोहरी आहरित राशि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर (₹34.50 लाख) और केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर (₹9.75 लाख) के बैंक खातों में जमा की गई, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4.3*** में विस्तृत है। एक मामलें में, कोषालय ने शिक्षकों के वेतन की देयक राशि ₹7.61 लाख पारित और भुगतान की जिसमें शिक्षकों की खाता संख्यायें नहीं थी। यह राशि भी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर (₹5 लाख) और केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर (₹2.61 लाख) के बैंक खाते में जमा की गई थी।

v. 17 प्रकरणों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि उप कोषालय अधिकारी (एस.टी.ओ.), जोबट, अलीराजपुर ने विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते में ₹59.59 लाख जमा किए, जबकि यह बैंक खाता वाउचर के साथ संलग्न भुगतानकर्त्ताओं की सूची में उल्लेखित

---

[96] श्री रितुराज सोलंकी

[97] केन्द्राध्यक्ष वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर (खाता संख्या 32230143507, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जोबट, अलीराजपुर) और केन्द्राध्यक्ष वेतन केन्द्र, कुण्डलवासा, अलीराजपुर, (खाता संख्या 32567384007, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जोबट, अलीराजपुर)

नहीं था (***परिशिष्ट 3.4.4***)। यह कपटपूर्ण जमा में, उप कोषालय अधिकारी, जोबट, अलीराजपुर की स्पष्ट भागीदारी को दर्शाता है।

(ii) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के आठ कर्मचारियों के व्यक्तिगत बैंक खातों में धनराशि का अंतरण

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि केन्द्राध्यक्ष वेतन केन्द्र, उदयगढ़, अलीराजपुर और विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खातों में जमा राशि ₹13.05 करोड़ (₹8 करोड़ + ₹5.05 करोड़) में से, ₹3.84 करोड़ (₹3.45 करोड़ + ₹0.39 करोड़) की राशि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के आठ कर्मचारियों[98] के बैंक खातों में और तत्कालीन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं हेतु अंतरित की गई थी। दिसम्बर 2013 से जून 2017 तक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदग्राही सहित विवरण ***परिशिष्ट 3.4.5*** में दिया गया हैं।

दो[99] बैंक खातों में जमा राशि (₹2.74 करोड़) में से, ₹34 लाख[100] या तो स्वयं के लिए आहरित किए गए अथवा शिक्षक[101], सहायक ग्रेड–3[102] और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बैंक खातों में अंतरित किए गए।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने 63 प्रमाणकों के माध्यम से कोषालय से ₹34.90 लाख आहरित किए और इसे पूर्वकथित सहायक ग्रेड–3 के दो व्यक्तिगत बैंक खातों में जमा किया। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने 63 प्रमाणकों में से केवल तीन देयक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये। लेखापरीक्षा ने पाया कि ये देयक छात्रावास के छात्रों की छात्रवृत्ति, जी.आई.एस. और प्रत्याशित पेंशन से सम्बन्धित थे, तथापि, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने कपटपूर्वक सहायक ग्रेड–3 के दो बैंक खातों में इन देयकों के ₹6.02 लाख जमा किए जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4.6*** में वर्णित है। आगे, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने छः प्रमाणकों के माध्यम से ₹29.19 लाख आहरित किए और शिक्षक के व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा किए। यह राशि अभिप्रेत लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जानी चाहिए थी।

इस प्रकार, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने कपटपूर्वक शासकीय धनराशि ₹16.43 करोड़ (₹15.79 करोड़ + ₹ 0.35 करोड़ + ₹0.29 करोड़) आहरित की और अनाधिकृत बैंक खातों तथा विभिन्न कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा किया। लेखापरीक्षा के बार–बार अनुरोध किये जाने के बावजूद विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने इन लेन–देनों से संबंधित सभी देयकों, प्रमाणकों और दस्तावेजों/सूचनाओं को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया।

(iii) गैर–अनुमोदित व्ययों के लिए निधियों का दुरूपयोग

लेखापरीक्षा ने देखा कि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कोई आधिकारिक लैंडलाइन/मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस तथ्य के बावजूद, केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र,

---

[98] सर्व श्री हेतराम राजपूत, सहायक शिक्षक, रितुराज सोलंकी, सहायक ग्रेड–3, जितेन्द्र सिंह चौहान, सहायक ग्रेड–3, रविन्द्र नागर, सहायक ग्रेड–3, के.एस. भूरा, लेखापाल, अरूण कुमार राजपूत, शिक्षक, राजेन्द्र डबगर, प्रधान पाठक, मांगलिया, भृत्य और श्रीमती उषा सोलंकी पत्नी श्री रितुराज सोलंकी, सहायक ग्रेड–3

[99] केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, कुण्डलवासा, अलीराजपुर (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जोबट, अलीराजपुर) में ₹1.45 करोड़ और केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, कुण्डलवासा, अलीराजपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा, उदयगढ़, अलीराजपुर) में ₹1.29 करोड़

[100] केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र, कुण्डलवासा, अलीराजपुर (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जोबट, अलीराजपुर) से ₹31 लाख और केन्द्राध्यक्ष, वेतन केन्द्र कुण्डलवासा, अलीराजपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा, उदयगढ़, अलीराजपुर) से ₹3 लाख

[101] श्री अरूण कुमार राजपूत

[102] श्री रितुराज सोलंकी

उदयगढ़, अलीराजपुर के बैंक खाते से फोन के रिचार्ज के लिए पाँच दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 291 लेन–देनों के माध्यम से ₹3.09 लाख अंतरित किए गए।

(iv) आंतरिक नियंत्रणों का अभाव

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता का नियम 293 निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी को अपने अधीन आने वाले प्रत्येक संवितरण अधिकारियों के कार्यालयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नियंत्रण अधिकारी (संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, इन्दौर संभाग) ने अप्रैल 2010 से जुलाई 2018 के दौरान विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उदयगढ़, अलीराजपुर के कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण नहीं किया। परिणामस्वरूप, अनाधिकृत बैंक खातों के संचालन और कपटपूर्ण आहरणों का वर्षों तक पता नहीं चला। आवधिक निरीक्षण ऐसी धोखाधड़ी का पता लगाने और सही करने का मौका देने के अलावा एक निवारक के रूप में भी कार्य कर सकता था।

कोषालय प्रणाली में कोई रोकथाम नहीं थी, जो अनाधिकृत कर्मचारियों के बैंक खातों में भुगतान को रोकते। कोषालय प्रणाली में शासन के सभी अधिकृत बैंक खातों की एक सूची होनी चाहिए। कोषालय देयक राशियों की संगणना के लिए जिम्मेदार था। इसने देयक राशि की गणना नहीं की और राशि में हेरफेर की सुविधा दी और अधिक राशि को अनाधिकृत बैंक खातों में अंतरित कर दिया।

कोषालय में सेवानिवृत्ति/मृत्यु लाभ, अतिथि शिक्षकगणों के वेतन की दोहरी निकासी को रोकने के लिए रोकथाम/नियंत्रण भी नहीं थी। यहाँ तक कि एक देयक में भुगतानकर्ताओं के खाता संख्या का उल्लेख नहीं पाया गया, कोषालय ने देयक राशि को अनाधिकृत बैंक खातों में अंतरित कर दिया था। कोषालय ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी का देयक जिसमें स्वीकृति आदेश संलग्न नहीं था भी पारित कर दिया। आवश्यक जाँचों का पालन करने में कोषालय की विफलता और कर्मचारियों की सक्रिय मिलीभगत के परिणामस्वरूप यह धोखाधड़ी हुई।

(v) मध्य प्रदेश शासन द्वारा कार्रवाई

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के उत्तर में, राज्य शासन ने आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल (सी.टी.डी.) को मामले की जाँच के लिए विभाग स्तर पर एक विशेष लेखापरीक्षा दल गठित करने का निर्देश (नवम्बर 2019) दिया। विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए सभी तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2020)। आगे, विभाग ने भी स्वतंत्र रूप से जाँच की और पाया कि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास लेखापरीक्षा प्रेक्षणों से संबंधित उचित अभिलेख नहीं थे। विभाग ने सहायक ग्रेड–3[103] को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की (जुलाई 2020)।

जनजातीय कार्य विभाग ने सूचित (जनवरी 2021) किया है कि पुलिस ने आठ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों सहित 14[104] अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की (जुलाई 2020/

---

103 श्री रितुराज सोलंकी

104 श्री डी.एस. सोलंकी, श्री बी.पी. पटेल, श्री एन.एस. रावत, श्री आर.के.एस. तोमर, श्री एम.एल.परमार, श्री नवीन श्रीवास्तव, श्री सूरज सिंह, और स्व. आर.एस. डाबर (तत्कालीन आठ बी.ई.ओ.); श्री के.एस. भूरा, श्री बी.एल. राव (तत्कालीन दो लेखापाल), श्री हेतराम राजपूत, यू.डी.टी., श्री मुकेश नीमा, सहायक ग्रेड–2, श्री रितुराज सोलंकी, सहायक ग्रेड–3 और श्री नरसिंह भूरिया, उप कोषालय, जोबट, अलीराजपुर में तत्कालीन सहायक ग्रेड–2

नवम्बर 2020)। आगे, नवम्बर 2020 में छः[105] विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और दिसम्बर 2020 में उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किए गए।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण के उत्तर में, कोषालय अधिकारी, अलीराजपुर ने भी एक जाँच प्रतिवेदन भेजा (जून 2020), जिसमें कथित था कि देयकों की कार्यालयीन प्रति पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के मुहर और हस्ताक्षर नहीं पाए गए; संबंधित लिपिक और प्रभारी उप कोषालय अधिकारी ने उचित जाँच नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप अनियिमित भुगतान हुआ।

(vi) शासकीय कार्रवाई की अपर्याप्तता

विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसमें शेष पाँच[106] कर्मचारियों जो शासकीय धन के कपटपूर्ण आहरण में शामिल थे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है।

भविष्य में इस तरह के कपट को रोकने के लिए विभाग को कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि मामले की सूक्ष्मता से जाँच की जाए और इन कपटपूर्ण गतिविधियों हेतु सभी उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए और दोषियों को न्यायपालिका के समक्ष लाया जाए।

ग्वालियर **(डी. साहू)**
दिनांक: 05 मार्च 2021 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम)**
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक: 09 मार्च 2021 **भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक**

[105] श्री बी.पी. पटेल, श्री डी.एस. सोलंकी, श्री एम.एल. परमार, श्री नवीन श्रीवास्तव, श्री सूरज सिंह और श्री आर.के.एस. तोमर

[106] श्री अरूण कुमार राजपूत, शिक्षक, श्री राजेन्द्र डबगर, प्रधान पाठक, श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, सहायक ग्रेड–3, श्री रविन्द्र नागर, सहायक ग्रेड–3 एवं श्री मांगलिया, भृत्य।